सड़क एजेंसी पी. वी. टी. का एशियाई पुनरुत्थान। लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

( आपराधिक अपील सं। 1375-1376 2013 का)

मार्च 28,2018

[ आदर्श कुमार गोएल, आर. एफ. नरीमन और

नवीन सिन्हा, जे. जे.]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: एस. 19 (3) (सी)-व्याख्या

एस. 397 ( 2 ) , सी. आर. पी. सी. वर्जित है-चाहे एस. 19 ( 3 ) ( ग) जो संशोधन को रोकता है, वह उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को भी रोक देगा। यू / s.482, सी. आर. पी. सी. या यू/आर्ट्स। 226 और 227-आयोजितः ए. के. गोयल, जे. के अनुसार (अपने और नवीन सिन्हा, जे. के लिए) आदेश तैयार करने का आरोप विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और न ही एक अंतिम आदेश-उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र या तो वर्जित नहीं है। s.397 या u / s.482, सी. आर. पी. सी. या संविधान के यू/Art.227-हालाँकि, उक्त अधिकार क्षेत्र का उपयोग विधायी नीति के अनुरूप किया जाना है ताकि शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

किसी भी तरह से बाधित हुए बिना किसी मुकदमे की सुनवाई-इस प्रकार, आरोप के आदेश को चुनौती देने पर दुर्लभ से दुर्लभतम मामले में केवल अधिकार क्षेत्र की पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए विचार किया जाना चाहिए और मामले को फिर से समझने के लिए नहीं-यहां तक कि जहां ऐसी चुनौती पर विचार किया जाता है

संविधान द्वारा स्थापित न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे न्यायालय में इसलिए निहित है क्योंकि यह एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय है, न कि इसलिए कि यह दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त है - धारा 19 (3) (सी) को उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका की रखरखाव पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। s.482, सी. आर. पी. सी.-भारत का संविधान-कला। 21 , 215 , 226 और 227-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 एस एस। 397 ( 2 ) , 482 - भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947

-

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952-भ्रष्टाचार विरोधी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964-रोक। भारत का संविधानः कला. 21 - आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय का अधिदेश-अनुदान के कारण भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई में देरी

ठहरनाः दीवानी और आपराधिक मामलों की अवधि-आयोजितः जहां दीवानी या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ रोक चल रही है, यह छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा-न्याय प्रशासन। [ पर ए. के. गोयल, जे. (अपने और नवीन सिन्हा, जे. के लिए)]

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: एस. 19 (3) (सी) आर/डब्ल्यू एसएस। 4 ( 4 ) और 22-अधिनियम के तहत मामले-निपटान-आयोजित धारा 19 (3) (सी) पढ़ें

एसएस के साथ। 4 ( 4 ) और 22, यह स्पष्ट करें कि अधिनियम के तहत मामलों का निर्णय अत्यधिक प्रेषण के साथ और बिना किसी गड़बड़ी के किया जाना चाहिए।

अंतर्वर्ती स्थगन आदेशों के रूप में। ( प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973: एस. 482 – न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ-प्रकृति-चर्चा की गई। ( प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.)

क़ानूनों की व्याख्याः अस्पष्टता के मामले में-आयोजितः यदि कोई अस्पष्टता है, और दो विचार संभव हैं, तो वह दृष्टिकोण जो सबसे अधिक है

अधिनियम के उद्देश्य के अनुरूप, और जो अधिनियम को व्यवहार्य बनाता है, अनिवार्य रूप से नियंत्रण दृष्टिकोण होना चाहिए। ( प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.)

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988: धारा 19 (3) (ग)-"किसी अन्य आधार पर" अपीलार्थियों की याचिका कि अभिव्यक्ति "किसी भी आधार पर

अन्य आधार "केवल उन आधारों के लिए संदर्भित है जो मंजूरी से संबंधित हैं और अधिनियम के तहत सभी कार्यवाही के लिए नहीं-उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि ये अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए संदर्भित आधार हैं और केवल मंजूरी के लिए संबंधित नहीं हैं-आयोजितः किसी अन्य आधार पर ", उन सभी आधारों को संदर्भित करता है और उनसे संबंधित है जो अधिनियम के तहत कार्यवाही में उपलब्ध हैं, उन आधारों के अलावा जो संबंधित हैं

प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी। ( प्रति आर. एफ. नरीमन, जे.)

निर्दिष्ट प्रश्नों का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः ए. के. गोयल, जे. (अपने और नवीन सिन्हा, जे. के लिए)

1.1 आदेश निर्माण शुल्क को विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना जा सकता है और किसी भी स्थिति में सड़क एजेंसी के एशियाई पुनरुत्थान में हस्तक्षेप किया जा सकता है।

सी. बी. आई.

संविधान की धारा 397 (2) Cr.P.C. या 482 Cr.P.C. या अनुच्छेद 227 के तहत जो एक संवैधानिक प्रावधान है लेकिन आरोप तय करने के आदेश में हस्तक्षेप करने और स्थगन देने के लिए उच्च न्यायालय का प्रयोग केवल एक असाधारण स्थिति में किया जाना है। उच्च न्यायालय के पास उचित मामले में आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार करने और रोक लगाने का अधिकार क्षेत्र है। [ पारस 26,27] [1072-ई-एफ]

मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4

एस. सी. सी. 551 [1978] 1 एस. सी. आर. 749-पुष्टि की गई।

1.2 पी. सी. अधिनियम के मामलों में, विधायिका का इरादा है

कार्यवाही के स्थगन के माध्यम से किसी भी बाधा के बिना दिन-प्रतिदिन के आधार पर मुकदमे का शीघ्र समापन और इस चिंता का सम्मान किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 22 (डी) द्वारा जोड़ी गई धारा 397 (1) Cr.P.C के प्रावधान में कहा गया है कि एक पुनरीक्षण अदालत सामान्य रूप से कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए नहीं बुलाएगी। यदि रिकॉर्ड को बुलाया जाता है, तो विशेष न्यायाधीश मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से रोक दिया जाएगा। अभियुक्त के अधिकार पर समाज के हित की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। यहां तक कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति का भी उपयोग किया जाना चाहिए जो बहुत व्यापक थी

न्यायिक विचार के अनुसार निरीक्षण और अच्छी तरह से

स्थापित सिद्धांत। दुर्लभ और चरम परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्वीकार किया जाता है कि आपराधिक मुकदमे में देरी, विशेष रूप से पीसी अधिनियम के मामलों में, न्याय के प्रशासन पर हानिकारक प्रभाव डालती है जिसमें समाज का महत्वपूर्ण हित होता है। मुकदमों में देरी कानून के शासन और कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में विश्वास को प्रभावित करती है। यह सामाजिक कल्याण को प्रभावित करता है और विकास। दीवानी या कर मामलों में भी यह निर्धारित किया गया है कि रोक लगाने की शक्ति का उपयोग संयम के साथ किया जाना चाहिए। बस।

प्रथम दृष्टया मामला पर्याप्त नहीं है। ठहराव की मांग करने वाले पक्ष को शर्तों पर रखा जाना चाहिए और ठहराव देरी के लिए प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। स्थगन देने वाले आदेश को विवेकपूर्ण व्यवहार दिखाना चाहिए। रोक लगाने की शक्ति जवाबदेही के साथ जुड़ी हुई है। [ पारस 28,29] [1072-जी-एच; 1073-ए-डी]

1.3 जहां भी रोक दी जाती है, एक बोलने वाला आदेश पारित किया जाना चाहिए जो दर्शाता है कि मामला असाधारण प्रकृति का था और रोक के कारण देरी भ्रष्टाचार के मामले में त्वरित सुनवाई के हित को प्रभावित नहीं करेगी। एक बार रोक लगने के बाद, कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और दो-तीन महीने के भीतर समाप्त नहीं किया जाना चाहिए।

न्याय का हित। न्यायिक अनुभव यह है कि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई को उच्च न्यायालयों के समक्ष आरोप के आदेश को चुनौती देने के कारण आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है। एक बार रोक लगने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के निपटारे में लंबा समय लगता है। फ्रेमिंग चार्ज के एक क्रम के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता नहीं हो सकती है। जो एक लघु परीक्षण की प्रकृति में हो सकता है। फिर भी, अदालत को कभी-कभी ऐसा करने के लिए कहा जाता है, भले ही कानून स्पष्ट हो कि आरोप के स्तर पर अदालत को केवल यह देखना है कि क्या रिकॉर्ड पर सामग्री आरोपी को अपराध से यथोचित रूप से जोड़ती है। [ पारस 30-32] [1073-E-G; 1074-A-B]

प्रदीप सिंह बनाम। पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92: [ 2014 ] 2 एस. सी. आर. 1-अनुसरण किया गया।

1.4 यदि आरोप के स्तर पर, उच्च न्यायालय संभावनाओं को तौलने का दृष्टिकोण अपनाता है और सामग्री की फिर से सराहना करता है, तो यह निश्चित रूप से एक समय लेने वाली कवायद हो सकती है। इस प्रकार मुकदमे के शीघ्र अंतिम निपटारे की विधायी नीति बाधित होती है। इस प्रकार, इस विचार को दोहराते हुए कि अधिकार क्षेत्र की कमी की पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए एक असाधारण स्थिति में आरोप तैयार करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है, इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम तक सीमित होना चाहिए। भले ही आरोप तय करने का आदेश देने की चुनौती पर विचार किया जाए, लेकिन ऐसी याचिका के निर्णय में देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कोई अनिवार्य समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, आम तौर पर यह दो-तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि रोक दी जाती है, तो यह आम तौर पर बिना शर्त या अनिश्चित काल के लिए नहीं होनी चाहिए।

अवधि। उपयुक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि जिस पक्ष के पक्ष में स्थगन दिया जाता है वह जवाबदेह हो यदि अदालत को अंततः मामले में कोई योग्यता नहीं मिलती है और दूसरे पक्ष को नुकसान और अन्याय का सामना करना पड़ता है। विधायी नीति और सड़क एजेंसी के अनुच्छेद एशियाई पुनरुत्थान के अधिदेश को प्रभावी बनाना।

सी. बी. आई.

21 आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय के लिए, यदि रोक दी जाती है, तो मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लिया जाना चाहिए और दो-तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। जहां मामला लंबे समय तक लंबित रहता है, वहां छह महीने की समाप्ति पर रोक का आदेश खाली हो जाएगा, जब तक कि असाधारण स्थिति को दर्शाने वाले एक बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है, जहां निचली अदालत द्वारा मुकदमे के अंतिम निपटारे के लिए निरंतर रोक को प्राथमिकता दी जानी थी। यह समय सीमा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तय की जा रही है कि इस तरह के परीक्षण सामान्य रूप से एक से दो वर्षों में समाप्त होने की उम्मीद है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, स्थगन के कारण कार्यवाही की स्थिति लंबे समय तक लंबित रही

इसे ठीक करने की आवश्यकता है। न केवल भ्रष्टाचार के लिए उपाय की आवश्यकता है

लेकिन उन सभी दीवानी और आपराधिक मामलों के लिए जहां ठहराव के कारण दीवानी और आपराधिक कार्यवाही रोकी जाती है। कभी-कभी, कार्यवाही

ठहरने के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठहराव खाली होने के बाद भी, सूचना प्राप्त नहीं होती है और कार्यवाही नहीं की जाती है। में।

मुकदमा चल रहा है, यह आज से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगा जब तक कि एक असाधारण मामले में एक बोलने वाले आदेश द्वारा इस तरह की रोक को बढ़ाया न जाए। ऐसे मामलों में जहाँ ठहरने की अनुमति दी जाती है भविष्य में, इस तरह के आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर यह समाप्त हो जाएगा जब तक कि बोलने वाले द्वारा इसी तरह का विस्तार नहीं दिया जाता है।

आदेश दें। बोलने के आदेश को यह दिखाना चाहिए कि मामला इतनी असाधारण प्रकृति का था कि मुकदमे को अंतिम रूप देने की तुलना में रोक जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण था। निचली अदालत जहां दीवानी या आपराधिक कार्यवाही पर रोक का आदेश प्रस्तुत किया जाता है, वह रोक के आदेश की छह महीने से अधिक की तारीख तय नहीं कर सकता है ताकि रोक की अवधि समाप्त होने पर, कार्यवाही तब तक शुरू हो सके जब तक कि अवधि बढ़ाने का आदेश न दिया जाए।

रहने का उत्पादन किया जाता है। [ पैरा 33,35] [1076-बी-एफ; 1078-सी-एफ]

1.5 इस प्रकार, कानून को यह घोषित किया जाता है कि आदेश तैयार करने का आरोप विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और न ही अंतिम आदेश है। अधिकारिता उच्च न्यायालय के लेबल की परवाह किए बिना वर्जित नहीं है

याचिका, चाहे वह संविधान की धारा 397 या 482 Cr.P.C या अनुच्छेद 227 के तहत हो। तथापि, उक्त अधिकारिता का प्रयोग विधायी नीति के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि शीघ्रता सुनिश्चित की जा सके।

किसी भी तरह से बाधित हुए बिना मुकदमे का निपटान। इस प्रकार विचार किए जाने पर, आरोप के आदेश की चुनौती को दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले में केवल अधिकार क्षेत्र की पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए न कि मामले को फिर से समझने के लिए।

इस तरह की चुनौती पर विचार किया जाता है और रोक दी जाती है, मामले का निर्णय दिन-प्रतिदिन के आधार पर किया जाना चाहिए ताकि ठहराव अनावश्यक रूप से लंबी अवधि के लिए काम न करे। हालांकि कोई अनिवार्य समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, निर्णय सामान्य रूप से दो-तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह लंबे समय तक लंबित रहता है, तो रहने की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि एक विशिष्ट बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है। त्वरित न्याय का अधिदेश पी. सी. अधिनियम के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों पर भी लागू होता है जहां परीक्षण चरण की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है।

या उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय, जैसा भी मामला हो। पी. सी. से संबंधित उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायालयों के समक्ष सभी लंबित मामलों में

अधिनियम या अन्य सभी दीवानी या आपराधिक मामले, जहां कार्यवाही पर रोक है।

यदि एक लंबित परीक्षण चल रहा है, तो रोक आज से छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त मापदंडों पर बोलने के आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत दीवानी और आपराधिक अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी इसी पाठ्यक्रम को अपनाया जा सकता है। निचली अदालतें, उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर, किसी अन्य सूचना की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही फिर से शुरू कर सकती हैं, जब तक कि रोक बढ़ाने का स्पष्ट आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है। उच्च न्यायालय इस आशय के निर्देश भी जारी कर सकते हैं और उनकी निगरानी कर सकते हैं ताकि दीवानी या आपराधिक कार्यवाही लंबित न रहे। परीक्षण चरण में अनुचित अवधि के लिए। [ पारस 36,37] [1078-जी-एच; 1079-ए-डी]

एल. चंद्र कुमार बनाम भारत संघ और ओआरएस। ( 1997 ) 3

एस. सी. सी. 261; कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3

एससीसी 569: [ 1994 ] 2 एस. सी. आर. 375-अनुसरण किया गया।

इम्तियाज अहमद बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2012) 2 एस. सी. सी. 688:

[ 2012 ] 1 एससीआर 779-पर निर्भर।

ओआरएस। वी. महाराष्ट्र राज्य और अन्न। ए. आई. आर. 2009 एस. सी. 1032 [2008] 17 एस. सी. आर. 844; कृष्णना बनाम। कृष्णवेणी (1997) 4 एससीसी 241: [ 1997 ] 1 एससीआर 511; नागेंद्र नाथ बोरा बनाम। पहाड़ी प्रभाग और अपील के आयुक्त, असम एआईआर 1958 एससी 398:

[ 1958 ] एस. सी. आर. 1240; निहंद्रा एशियाई सड़क एजेंसी का पुनरुत्थान v. सी. बी. आई.

बैग वी। महेंद्र नाथ घुघु एयर 1963 एससी 1895: [ 1963 ] पूरक। एस. सी. आर. 570; सरपंच, लोनंद ग्राम पंचायत बनाम। रामगिरी गोसावी और अन्न। ए. आई. आर 1968 एस. सी. 222: [ 1967 ] एस. सी. आर. 774; मारुति बाला राउत बनाम। दशरथ बाबू वाथरे और ओआरएस। ( 1974 ) 2 एससीसी 615: [ 1975 ] 1 एस. सी. आर. 899; बब्बुतमल रायचंद ओसवाल बनाम। लक्ष्मीबाई आर. तार्ते और अन्न। ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1297; जागीर सिंह बनाम। रणबीर सिंह और अन्न। ए. आई. आर 1979 एस. सी 381: [ 1979 ] 2 एस. सी. आर. 282; विशेष कुमार बनाम। शांति प्रसाद एयर 1980 एससी 892:

[ 1980 ] 3 एससीआर 32; खलील अहमद बशीर अहमद बनाम। तुफेलहुसेन समसभाई सारंगपुरवाला ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 184: [ 1988 ] 1 एससीआर 1057; एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1997; रंजीत सिंह बनाम। रवि प्रकाश एयर 2004 एससी 3892; अमरनाथ बनाम। हरियाणा राज्य (1977) 4 एस. सी. सी. 137 [1978] 1 एस. सी. आर. 222; मोहनलाल मगनलाल ठाकरे बनाम। गुजरात राज्य [1968] 2 एससीआर 685; मनोहर लाल शर्मा बनाम। प्रधान सचिव

और ओआरएस। ( 2014 ) 9 एससीसी 516: [ 2014 ] 8 एससीआर 836; शालिनी श्याम शेट्टी बनाम। राजेंद्र शंकर पाटिल (2010) 8 एस. सी. सी. 329 [2010] 8 एस. सी. आर. 836; राज्य बनाम। नवजोत संधू (2003) 6 एस. सी. सी. 641: [ 2003 ] 1 पूरक। एससीआर 130; वी. सी. शुक्ला बनाम सी. बी. आई. (1980) पूरक के माध्यम से राज्य। एससीसी 92: [ 1980 ] एससीआर 380; गिरीश कुमार सुनेजा बनाम। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2017) 14 एस. सी. सी. 809; एस.

कुप्पुस्वामी राव बनाम। राजा (1947) 9 एफ. सी. आर. 180; सत्य नारायण शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य (2001) 8 एस. सी. सी. 607 [2001] 3 पूरक। एस. सी. आर. 268; चंदर शेखर सिंह बनाम सिया राम सिंह (1979) 3 एससीसी 118: [ 1979 ] 1 एस. सी. आर. 947; रतिलाल भंजी मिथानी बनाम। अस्स्टेट। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और अन्न। [ 1967 ] 3 एससीआर 926; सिलीगुड़ी नगरपालिका बनाम अमलेंदु दास (1984) 2 एससीसी 436 : [ 1984 ] 2 एस. सी. आर. 344; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, चंदन नगर, पश्चिम बंगाल बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य। ( 1985 ) 1 एससीसी 260: [ 1985 ] 2 एस. सी. आर. 190; केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और अन्य। बनाम। पी. वी. सुरेश और अन्य। ( 1994 ) 2 एससीसी 70: [ 1993 ] 2 पूरक। एस. सी. आर. 487; पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। बनाम कलकत्ता हार्डवेयर

स्टोर और ओआरएस। ( 1986 ) 2 एससीसी 203: [ 1986 ] 1 एस. सी. आर. 364 संदर्भित है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पकड़नाः प्रति आर. एफ. नरीमन, जे. (सहमत):

1.1 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (3) के अवलोकन से पता चलता है कि प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक के खिलाफ निर्णय हटा लिया जाता है यदि न्यायालय संतुष्ट होता है कि त्रुटि, चूक या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। धारा 19 (3) के खंड (बी) में यह कहने के बाद, खंड (सी) कहता है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अन्य आधार पर कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगा। [ पैरा 7] [1085-जी-एच]

1.2 प्रत्यर्थियों का यह कहना सही है कि "किसी अन्य आधार पर" इस अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए संदर्भित आधार हैं और निम्नलिखित के लिए केवल मंजूरी से संबंधित नहीं हैं।

स्पष्ट करें कि मंजूरी में जो भी त्रुटि, चूक या अनियमितता हो, उससे संबंधित सभी आधार शामिल हैं। ( (ii) यह स्पष्टीकरण (क) द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है, जो मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की क्षमता को शामिल करते हुए एक "त्रुटि" को परिभाषित करता है।

( (iii) उपखंड (ख) में निहित "प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में" शब्द उपखंड (ख) में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट हैं। खंड (ग), जिससे पता चलता है कि यह अधिनियम के तहत कार्यवाही है जिसे संदर्भित किया जाता है।

( iv) "किसी अन्य आधार पर" अभिव्यक्ति, इसलिए, उन सभी आधारों को संदर्भित करती है और उनसे संबंधित है जो प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी से संबंधित आधारों के अलावा अधिनियम के तहत कार्यवाही में उपलब्ध हैं।

( v) इस धारणा पर कि एक अस्पष्टता है, और यह कि दो विचार संभव हैं, वह दृष्टिकोण जो अधिनियम के उद्देश्य के साथ सबसे अधिक मेल खाता है, और जो अधिनियम को व्यवहार्य बनाता है, अनिवार्य रूप से नियंत्रक दृष्टिकोण होना चाहिए। यह एक स्थापित कानून है कि दंडात्मक कानून भी न केवल उनकी शाब्दिक भाषा द्वारा, बल्कि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य द्वारा भी शासित होते हैं।

( vi) रोकथाम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 यह स्पष्ट करता है कि धारा 19 (3) (सी) सड़क एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान है।

सी. बी. आई.

न्याय जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाएगा। ( viii) धारा 19 (3) (सी) यह स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो गया कि अधिनियम के तहत कार्यवाही केवल मंजूरी में त्रुटि, चूक या अनियमितता की स्थिति में रोकी जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, और बिना किसी अन्य कारण के। यही कारण था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) की भाषा में यह दोहराना भी आवश्यक था कि धारा 19 (3) (बी) के अंतर्गत आने वाले मामलों के अलावा अन्य सभी मामलों में कोई भी अदालत उन अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगी जिन्हें पारित किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 19 (3) (सी) के इस भाग की पहुंच कार्यवाही के हर चरण में है, यानी जांच, परीक्षण, अपील या अन्यथा, यह स्पष्ट करते हुए कि,

प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप, भ्रष्टाचार के मुकदमों की रोकथाम को न केवल सामान्य अदालतों के अलावा अन्य अदालतों द्वारा सुना जाना चाहिए, बल्कि यथासंभव शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा भ्रष्ट लोक सेवक पद पर बने रहेंगे और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैंसरकारी होंगे, जो राष्ट्र के ताने-बाने को खा जाएंगे। [ पैरा 8] [1086-बी-एच; 1087-ए-डी; 1088-ए-ई]

मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1977) 4

एससीसी 551: [ 1978 ] 1 एससीआर 749-पुष्टि की गई।

सुश्री इरा डॉ. मंजुला क्रिपेंडॉर्फ बनाम के माध्यम से। राज्य

( एन. सी. टी. दिल्ली सरकार) और ए. एन. आर. 2017 एससीसी ऑनलाइन एससी 787 - संदर्भित किया गया।

1.3 उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान द्वारा की जाती है

और अभिलेख की अदालतें हैं जिनके पास ऐसी अदालतों की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति भी शामिल है (अनुच्छेद 215)। उच्च न्यायालय, रिकॉर्ड का एक उच्च न्यायालय होने के नाते, उठाए जाने पर अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्नों पर विचार करने का हकदार है।

उससे पहले। [ पैरा 9] [1088-एफ-जी] [2018] 2 एस. सी. आर.

1.4 इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति निर्धारित की गई है

संविधान द्वारा एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे न्यायालय में निहित है क्योंकि यह एक उच्चतर अभिलेख न्यायालय है, न कि इसलिए कि यह दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा प्रदत्त है। यह एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं संविधान द्वारा निहित है, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 215 के तहत वनाच्छादित के रूप में। इसके अलावा, उच्च न्यायालयों के पास अनुच्छेद के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति, नहीं, कर्तव्य है 226 संविधान की, मामलों में न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति

संविधान के अनुच्छेद 21 में भी नागरिक की स्वतंत्रता को शामिल किया गया है। यह संवैधानिक स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 19 (3) (सी) को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका की स्थिरता पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है, जो केवल दंड प्रक्रिया संहिता पर लागू होने वाली धारा 19 (3) में गैर-अबाधित खंड है। जहाँ तक अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं का संबंध है, वे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं।

संविधान। [ पारस 11,18] [1089-एच; 1090-ए-सी; 1097-ई-एफ]

सत्य नारायण शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य (2001) 8

एससीसी 607: [ 2001 ] 3 पूरक। एस. सी. आर. 268-खारिज।

1964 [1965] के विशेष संदर्भ 1 में 1 एस. सी. आर. 413;

रतिलाल भंजी मिथानी बनाम। सीमा शुल्क के सहायक कलेक्टर

[ 1967 ] एस. सी. आर. 3 926; एल. चंद्र कुमार बनाम। भारत संघ

और ओआरएस। ( 1997 ) 3 एससीसी 261: [ 1997 ] 2 एससीआर 1186;

कर्तार सिंह बनाम। पंजाब राज्य (1994) 3 एससीसी 569 : [ 1994 ] 2 इसके बाद एस. सी. आर. 375 आया।

गिरीश कुमार सुनेजा बनाम। सी. बी. आई (2017) 14 एस. सी. सी. 809 -

92 [ 1980 ] एस. सी. आर. 380; पूनम चंद जैन और एक अन्य वी। फजरू (2004) 13 एस. सी. सी. 269: [ 2004 ] 5 पूरक।

एस. सी. आर. 525; अमर नाथ बनाम। हरियाणा राज्य (1977) 4 एससीसी

137 [ 1978 ] 1 एस. सी. आर. 222 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

आदर्श कुमार गोयल के निर्णय में, जे। :

संदर्भित किया गया है

159 ( 2009 ) डीएलटी 636

पैरा 6

166 ( 2010 ) डीएलटी 362

संदर्भित किया गया है

पैरा 6 सड़क एजेंसी का एस. आई. ए. एन. पुनरुत्थान v. सी. बी. आई.

4 पूरक। एससीआर 450

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

पैरा 8

17 एससीआर 844

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 749

पुष्टि की

पैरा 8

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 511

1 पूरक। एससीआर 130

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

एससीआर 1240

पूरक। एससीआर 570

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

एससीआर 774

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

पैरा 9

1 एससीआर 899

संदर्भित किया गया है

975 एससी 1297

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

2 एससीआर 282

3 एससीआर 32

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

1 एससीआर 1057

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

संदर्भित किया गया है

पैरा 9

000 एससी 1997

संदर्भित किया गया है

004 एससी 3892

पैरा 9

एससीआर 380

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

3 पूरक। एससीआर 268

संदर्भित किया गया है

पैरा 12

पीछा किया।

पैरा 14

3 एस. सी. सी. 261

1 एससीआर 947

पैरा 14

संदर्भित किया गया है

संदर्भित किया गया है

1 एससीआर 222

पैरा 18

2 एससीआर 685

संदर्भित किया गया है

पैरा 19

14 एस. सी. सी. 809

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

8 एससीआर 446

पैरा 20

8 एससीआर 836

पैरा 20

संदर्भित किया गया है

पीछा किया।

2 एससीआर 375

पैरा 22

संदर्भित किया गया है

3 एससीआर 926

पैरा 24

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

2 एससीआर 344

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

[ 1993 ] 2 पूरक। एससीआर 487

संदर्भित किया गया है

[ 1986 ] 1 एससीआर 364

संदर्भित किया गया है

[ 2014 ] 2 एससीआर 1

पीछा किया।

[ 2012 ] 1 एससीआर 779

उस पर भरोसा करें

आर. एफ. नरीमन के निर्णय में, जे. :

[ 1978 ] 1 एससीआर 749

पुष्टि की

[ 1965 ] 1 एससीआर 413

पीछा किया।

[ 1967 ] एससीआर 3 926

पीछा किया।

[ 2001 ] 3 पूरक। एससीआर 268

खारिज कर दिया गया

[ 1978 ] 1 एससीआर 222

संदर्भित किया गया है

[ 1980 ] एससीआर 380

संदर्भित किया गया है

[ 2004 ] 5 पूरक। एससीआर 525

संदर्भित किया गया है

( 2017 ) 14 एस. सी. सी. 809

उस पर भरोसा करें

[ 1997 ] 2 एससीआर 1186

पीछा किया।

[ 1994 ] 2 एससीआर 375

पीछा किया।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः सी.

नं. 1375-1376 2013 से।

29.03.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से

नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय की पीठ ने डब्ल्यू. पी. (सीआरएल)

के साथ

सीआरएल। ए. नं. 1383 , 1377 , 1394 , 1384 , 1393 , 1386-13

1396 , 1395 , 1391 , 1389 , 1388 , 1398 , 1397 , 1390 , 1399 , 14 1404 , 1403 और 2013 का 1405।

एसएलपी (सीआरएल) नं. 2610 , 6835 , 6834 , 6837 , 10050-1

9653 2013 से।

सीआरएल। ए. नं. 388 और 2014 का 234। एसएलपी (सीआरएल) नं. 5678 , 1451 , 1399 , 2508 , 2970 , 25

4709 , 6372 , 6391 और 2014 का 6691-6692।

सीआरएल। 2017 का ए. सं. 9363।

सड़क एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v. सी. बी. आई.

टी., अभिषेक त्यागी, निखिल जैन, आर. पी. शुक्ला, विजय के. जैन, एच. एस. भुल्लर, अश्विनी कुमार, सुश्री इति शर्मा, सुश्री शिवाली चौधरी, अभिनव शर्मा, सुश्री स्नेहा बी., कमल मोहन गुप्ता, संतोष कुमार-आई, सुश्री बीनू टम्टा, सुश्री किरण भारद्वाज, एस. एस. शमशेरी, वी. वी. पट्टाभि राम, सुश्री रुक्मिणी बोबडे, हेमंत आर्य, सुमित टी., मुकेश कुमार मारोरिया, पी. विनय कुमार, सुश्री प्रेरणा मेहता, वी. एन. रघुपति, अशोक के. महाजन, सिद्धार्थ अग्रवाल, सेंथिल जगदीशन, सुश्री रूओली सैमुअल, अमरजीत सिंह बेदी, बी. वी. बलराम दास, अरुणाभ चौधरी, अनुपम लाल दास, सिद्धार्थ दवे, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

आदर्श कुमार गोएल, जे।

2013 की आपराधिक अपील Nos.1375-1376

1. ये अपीलें दो न्यायाधीशों की पीठ के दिनांक 9 तारीख के आदेश के अनुसरण में तीन न्यायाधीशों की इस पीठ के समक्ष रखी गई हैं।

सितम्बर, 2013 इस प्रकार हैः

" छुट्टी दे दी गई।

पक्षों के लिए विद्वान वकील इस बात पर सहमत हैं कि वहाँ है

विभिन्न के बीच महत्वपूर्ण मतभेद

इस न्यायालय के साथ-साथ सभी उच्च न्यायालयों की पीठें। श्री राम जेठमलानी, विद्वान वरिष्ठ वकील

2012 की विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) No.6470 से उत्पन्न आपराधिक अपील में याचिकाकर्ता प्रस्तुत करता है कि

दो न्यायाधीश पीठों द्वारा दिए गए बाद के निर्णय [2018] 2 एस. सी. आर. हैं।

इनक्यूरियम के अनुसार, और मोहनलाल मगनलाल ठाकरे बनाम में संविधान पीठ के फैसले में निर्धारित कानून के अनुपात के साथ संघर्ष में। गुजरात राज्य [(1968) 2 एससीआर 685]।

मामले के इस दृष्टिकोण में, हमारी राय है कि यह उचित होगा यदि मामलों को एक बड़ी पीठ द्वारा भेजा और सुना जाए। कार्यालय को उचित आदेशों के लिए मामलों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है।

इस बीच, निचली अदालत के समक्ष आगे की कार्यवाही

रह जाएगी। "

2. चूँकि निर्धारित किए जाने वाले कानून का प्रश्न सभी मामलों में समान है, इसलिए हमने इस मामले को विचार के लिए लिया है। निर्दिष्ट प्रश्न के उत्तर के आलोक में इसके साथ-साथ अन्य सभी मामलों को उपयुक्त पीठ द्वारा गुण-दोष के आधार पर निपटाने के लिए विचार किया जा सकता है। 3. पहले संक्षिप्त तथ्य। दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के पास 7 मार्च, 2001 का एफ. आई. आर. दर्ज किया गया हैः सी. बी. आई./एस. आई. यू.-VIII/नई दिल्ली

आई. पी. सी. की धारा 420,467,468,471 और 477 ए के साथ पठित धारा 120 बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पी. सी. अधिनियम) की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत शाखा।

" वर्ष 1997 और 1998 के दौरान दिल्ली में सड़कों के घने कालीन निर्माण कार्य। 4. जाँच के बाद, प्रतिवादी द्वारा अपीलार्थी और एम. सी. डी. के कुछ कर्मचारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया-विशेष अदालत के समक्ष सी. बी. आई.

न्यायाधीश, सी. बी. आई., नई दिल्ली 28 नवंबर, 2002 को। अपीलकर्ताओं ने विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. के पास आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। 1 फरवरी, 2007 को विशेष न्यायाधीश, सी. बी. आई. ने न्यायालय के समक्ष सामग्री पर विचार करने के बाद आरोप तय करने का निर्देश दिया। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपीलार्थी और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला था। द.

अपीलकर्ताओं ने आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष 2007 का आपराधिक संशोधन संख्या 321 दायर किया। पुनरीक्षण याचिका को 2010 की रिट याचिका (आपराधिक) No.352 में परिवर्तित कर दिया गया था।

5. विद्वान एकल न्यायाधीश ने डिवीजन बेंच द्वारा विचार के लिए कानून के निम्नलिखित प्रश्न को संदर्भित कियाः

" क्या किसी विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोप पर आदेश तैयार किया गया है

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत, सड़क एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v.

सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

एक अंतर्वर्ती आदेश, और जब इसके खिलाफ कोई संशोधन नहीं

Cr.P.C झूठ की धारा 482 के तहत आदेश या याचिका पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत हमला किया जा सकता है, चाहे किए गए अपराधों में अपराध शामिल हों या नहीं।

भारतीय दंड संहिता के तहत अपराधों के अलावा

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम? "

6. विद्वान एकल न्यायाधीश ने धरमबीर तार बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और आर. सी. सभरवाल मामले में उच्च न्यायालय के दो एकल पीठ के फैसलों में लिए गए परस्पर विरोधी विचारों का उल्लेख किया।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 2. यह देखा गयाः

" हालाँकि, चूंकि दो विचार हैं, एक आर. सी. सभरवाल (ऊपर) मामले में न्यायमूर्ति जैन की पीठ द्वारा व्यक्त किया गया और एक धर्मवीर खट्टर के मामले (ऊपर) में न्यायमूर्ति मुरलीधर की पीठ द्वारा व्यक्त किया गया और इस पीठ द्वारा, मैं मानता हूं कि यह एक उपयुक्त मामला था जहां एक बड़ी पीठ को विराम पर विवाद "।

7. धरमबीर खट्टार (ऊपर) में, विद्वान एकल ई का दृष्टिकोण इस प्रकार हैः

" 32. चर्चा के इस भाग को समाप्त करने के लिए यह माना जाता है कि धारा 19 (3) (सी) के संदर्भ में "कोई भी न्यायालय किसी भी जांच, मुकदमे में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा". इसमें आरोप पर आदेश या आरोप तय करने वाले आदेश के रूप में एक अंतर्वर्ती आदेश शामिल है। वी. सी. शुक्ला और सत्य नारायण शर्मा के फैसलों को सामूहिक रूप से पढ़ने पर, यह माना जाता है कि पी. सी. ए. की धारा 19 (3) (सी) के संदर्भ में, आरोप या आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में कोई पुनरीक्षण याचिका बनाए रखने योग्य नहीं होगी।

विशेष न्यायालय द्वारा पारित आरोप तय करने का आदेश।

33. इसलिए, इस न्यायालय के सुविचारित दृष्टिकोण में, सी. बी. आई. की प्रारंभिक आपत्ति

वर्तमान याचिकाओं को बरकरार रखने की आवश्यकता है।

8. आर. सी. सभरवाल (ऊपर) में, एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि हालांकि एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ कोई संशोधन नहीं हो सकता है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत संवैधानिक उपचार पर रोक है। उसी समय, धारा 482 के तहत शक्ति नहीं हो सकी

2010 )

डीएलटी 362 [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

की दृष्टि में क़ानून में एक्सप्रेस बार के अपमान में प्रयोग किया गया

सी. बी. आई. बनाम रविशंकर श्रीवास्तव 3 में इस न्यायालय की दलीलें,

अरिमल टोबैको प्रोडक्ट्स लिमिटेड और अन्य। बनाम राज्य

महाराष्ट्र और Anr.4, मधु लिमये बनाम द स्टेट ऑफ 'महाराष्ट्र', कृष्णन बनाम कृष्णवेणी और राज्य बनाम

वजोत संधू '।

9. यह देखा गयाः

" 37. नवजोत संधू (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आधिकारिक फैसले के साथ-साथ मधु के मामले में इसके पहले के फैसलों को ध्यान में रखते हुए

इस पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 में मान्यता प्राप्त उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग तब नहीं किया जा सकता है जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग दंड संहिता के अलावा किसी वैधानिक अधिनियम में निहित एक स्पष्ट बार का अपमान होगा।

प्रक्रिया। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ दंड प्रक्रिया संहिता में निहित किसी भी अन्य प्रावधान द्वारा सीमित नहीं की गई हैं, जैसा कि शब्दों के उपयोग से स्पष्ट है? इस संहिता में कुछ भी नहीं है? संहिता की धारा 482 में

दंड प्रक्रिया, लेकिन, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता है जब ऐसी शक्तियों का प्रयोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) जैसे कुछ अन्य वैधानिक अधिनियमों में निहित विधायी जनादेश के खिलाफ होगा।

" 29. तथ्य यह है कि प्रक्रियात्मक पहलू के संबंध में

अभियुक्त को आरोपमुक्त करना एक आदेश हो सकता है जो होगा विषय-शायद अभियोजन पक्ष के आग्रह पर पुनरीक्षण याचिका का मामला। चूँकि क़ानून के सभी प्रावधानों को अर्थ दिया जाना चाहिए, इन तीनों का एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण।

006 ) 7 एससीसी 188

आर 2009 एससी 1032

997 ) 4 एस. सी. सी. 241

003 ) 6 एस. सी. सी. 641 रोड एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

प्रावधान इंगित करते हैं कि जिन प्रकार के आदेशों को उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है, वे काफी हद तक संकुचित हैं जैसा कि सत्य नारायण शर्मा के मामले में समझाया गया है।

आगे, नागेंद्र नाथ बोरा बनाम का उल्लेख करने के बाद। पहाड़ी प्रभाग और अपील आयुक्त, असम, ए. आई. आर. 1958 एस. सी. 398; निबारन

चंद्र बाग बनाम। महेंद्र नाथ घुघू, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1895; सरपंच, लोनंद ग्राम पंचायत बनाम। रामगिरी गोसावी और अन्र। , ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 222; मारुति बाला राउत बनाम। दशरथ बाबू वाथरे और ओआरएस। , ( 1974 ) 2 एस. सी. सी. 615; बब्बुतमल रायचंद ओसवाल बनाम। लक्ष्मीबाई आर. तार्ते और अन्र। , ए. आई. आर. 1975 एस. सी. 1297; जागीर सिंह बनाम। रणबीर सिंह और अन्र। , ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 381; विशेष कुमार बनाम। शांति प्रसाद, आकाशवाणी 1980 एससी 892; खलील अहमद बशीर अहमद बनाम।

तुफेलहुसेन समसबई सारंगपुरवाला, ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 184; एम. सी मेहता बनाम कमल नाथ और अन्य। , ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1997 और रंजीत सिंह बनाम। रवि प्रकाश, ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3892 ने कहाः

भ्रष्टाचार के मामले को पूरा होने में 20 साल तक का समय लगता है। इस स्थिति का एक प्रमुख कारण यह है कि जिस क्षण आरोप तय किया जाता है, हर मुकदमा उच्च न्यायालय में जाता है और आदेश देता है
अभियोग पर वादियों द्वारा हमेशा हमला किया जाता है और उच्च न्यायालय को इस तरह की पुनरीक्षण याचिकाओं से भर जाने के बाद, आरोप पर पुनरीक्षण याचिकाओं पर निर्णय लेने में कितने भी साल लगेंगे और परीक्षणों पर रोक बनी रहेगी। इस स्थिति को देखते हुए विधानमंडल ने प्रावधान अधिनियमित किया कि

अंतर्वर्ती आदेश पुनरीक्षण याचिकाओं का विषय नहीं हो सकते हैं। इस न्यायालय ने ऊपर बताए गए कारणों से, पैरा संख्या 3 और 4 में प्रचलित स्थिति पर विचार किया था और

इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोप तय करने के आदेश या आरोप तय करने का निर्देश देने वाले आदेश के खिलाफ कोई संशोधन नहीं होगा। इसी तरह, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका। पी. सी. भी झूठ नहीं बोलेगा। मेरी राय है कि एक बार जब यह न्यायालय यह मान लेता है कि अनुच्छेद 227 के तहत एक याचिका होगी, तो परिणाम जैसा कि उपरोक्त याचिकाओं से स्पष्ट है कि -

आरोप पर आदेश जिस पर पहले संशोधन के माध्यम से हमला किया जाता था, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत छद्म तरीके से हमला किया जाएगा और परिणाम वही होगा कि निचली अदालत के समक्ष कार्यवाही आगे नहीं बढ़ेगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. आरोप लगाने वाली याचिका पर निर्णय की आवश्यकता होती है

सी. बी. आई. द्वारा एकत्र किए गए भारी सबूतों को देखते हुए,

प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य का विश्लेषण करना और फिर

इस निष्कर्ष पर पहुँचना कि क्या अभियुक्त होने के लिए उत्तरदायी था

आरोप लगाया या नहीं। यह अभ्यास विशेष न्यायाधीश द्वारा किया जाता है।

हमेशा एक विस्तृत बोलने के क्रम को देखें। हर ऑर्डर पर भ्रष्टाचार निवारण के तहत विशेष न्यायाधीश का प्रभार

मामले, आम तौर पर 40 से 50 पृष्ठों में चलते हैं जहाँ सबूत हैं

शुल्क लिया जाता है। यदि यह न्यायालय अनुच्छेद के तहत याचिकाओं पर विचार करता है 227 एकत्र किए गए साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के लिए संविधान

सी. बी. आई. द्वारा यह देखने के लिए कि क्या आरोप लगाए जाने योग्य था या, वास्तव में,

न्यायालय विधायी आशय के विपरीत ऐसा कर रहा होगा।

कोई भी अदालत किसी मामले में आगे दी गई दलीलों की सराहना नहीं कर सकती है।

पूरे रिकॉर्ड को देखे बिना चार्ज करें। इन मुद्दों पर ऐसी याचिकाओं में अधिकार क्षेत्र और विकृति का मुद्दा उठाया जाता है

केवल याचिका स्वीकार कराने के लिए। अधिकारिता का मुद्दा है

शायद ही कभी शामिल। किसी आदेश की विकृति का तर्क दिया जा सकता है किसी भी अच्छी तरह से लिखित निर्णय का सम्मान क्योंकि विकृति है

ऐसा शब्द जिसका एक विशाल अर्थ और एक क्रम है

किसी वादी द्वारा उसके पक्ष में नहीं माने जाने पर हमेशा विचार किया जाता है

उसके और उसके वकील द्वारा विकृत। इसलिए, मनोरंजन ए

एक आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका

प्रभार पर अप्रत्यक्ष रूप से एक ही काम करने के बराबर होगा

जो सीधे नहीं किया जा सकता है, मेरा मानना है कि कोई याचिका नहीं है

अनुच्छेद 227 के तहत विचार किया जा सकता है।

( जोर दिया गया)

10. डिवीजन बेंच ने विवादित फैसले 3 में फिर से तैयार किया

इस प्रकार हैः

" ( क) क्या 1988 के अधिनियम के तहत आरोप तय करने का आदेश है।

इस प्रकार एक अंतर्वर्ती आदेश के रूप में माना जाएगा

इस न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग को प्रतिबंधित करना?

( ख) क्या धारा 19 में प्रयुक्त भाषा

1988 संशोधन पर रोक लगाने वाला अधिनियम भी रोक लगाएगा

Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग।

सभी उद्देश्य?

कुमार जैन बनाम सी. बी. आई. 178 (2011) डी. एल. टी. 501 एस. आई. ए. एन. रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी बनाम।

सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

( ग) क्या आदेश तैयार करने का शुल्क इसके तहत लगाया जा सकता है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 227?

11. इस मुद्दे पर कानून पर चर्चा करने के बाद पीठ ने निष्कर्ष निकालाः

" ( ए) की रोकथाम के तहत आरोप तय करने का आदेश

भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988 एक अंतर्वर्ती आदेश है।

( बी) जैसा कि धारा 19 (3) (सी) स्पष्ट रूप से एक के खिलाफ संशोधन को रोकती है

अंतर्वर्ती आदेश एक संशोधन बनाए रखने योग्य नहीं होगा। ( ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका

भारत का संविधान बनाए रखने योग्य है।

( घ) भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका हो।

भारत के संविधान पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है किसी भी परिस्थिति में ठहराव का आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए।

धारा में निहित निषेध को ध्यान में रखते हुए

19 ( 3 ) ( (ग) 1988 के अधिनियम की धारा।

( ई) धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग

दंड प्रक्रिया संहिता या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत भारत का संविधान संयम और असाधारण होना चाहिए।

सिया राम सिंह [(1979) 3 एस. सी. सी. 118], विशेष कुमार [ए. आई. आर. 1980 एस. सी. 892], खलील अहमद बशीर अहमद [ए. आई. आर. 1988 एस. सी.] में निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों का प्रयोग किया जाए।

184 , कमल नाथ और अन्य। [ ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1997 रंजीत सिंह

[ ए. आई. आर. 2004 एस. सी. 3892] और इसी तरह के निर्णयों में

मैदान।

( च) यह स्थापित कानून है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत या दंड प्रक्रिया संहिता के अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान का प्रयोग "एक वस्त्र" के रूप में नहीं किया जा सकता है।

भेष बदलकर अपील करना या साक्ष्य की पुनः सराहना करना। द.

उपरोक्त कार्यवाहियों का उपयोग बहुत कम समय में किया जाना चाहिए।

देखभाल, सावधानी, सावधानी और केवल गंभीर स्थिति से बचने के लिए न्याय की विफलता "।

12. यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आदेश तैयार करने का आरोप एक अंतर्वर्ती था

धारा 397 (2) के साथ पठित धारा 401 के तहत कोई संशोधन याचिका नहीं

8 ] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

Cr.P.C. इस तरह के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में होगा। रिलायंस को मुख्य रूप से वी. सी. शुक्ला बनाम राज्य पर सी. बी. आई. के माध्यम से रखा गया था। इसमें, विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 11 ए की व्याख्या इस न्यायालय के चार न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा की गई थी। पीठ ने एस में परीक्षण लागू किया।

कुप्पुस्वामी राव बनाम राजा विश्वास को सत्य नारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य पर भी रखा गया था, जिसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 (3) (सी) विचार का विषय थी।

13. हालाँकि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 482 Cr.P.C के तहत एक याचिका उच्च न्यायालय में होगी, भले ही धारा 397 के तहत कोई प्रतिबंध हो या

हालाँकि, अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग हो या जहाँ न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हस्तक्षेप बिल्कुल आवश्यक हो। इसका प्रयोग बहुत संयम से किया जाना चाहिए जहां कार्यवाही अवैध रूप से, परेशान करने वाली या अधिकार क्षेत्र के बिना शुरू की गई हो। कानून के स्पष्ट प्रावधान के खिलाफ शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यहां तक कि जहां एक दुर्लभ मामले में अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग किया जाता है, वहां भी भ्रष्टाचार के मामले में मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। इस संबंध में निर्भरता मुख्य रूप से सत्य नारायण शर्मा (ऊपर) और नवजोत संधू (ऊपर) में इस अदालत के फैसलों पर रखी गई थी।

15. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की थी कि आदेश तैयार करने का आरोप एक था अंतर्वर्ती आदेश। किसी भी मामले में, धारा 482 Cr.P.C के तहत याचिका।

और संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत बनाए रखने योग्य माना गया है, पीसी अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत निषेध के बावजूद उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप या उच्च न्यायालय की स्थगन देने की शक्ति के खिलाफ कोई निषेध नहीं हो सकता है।

9 ( 1980 ) पूरक। एस. सी. सी 92 10 ( 1947 ) एफ. सी. आर. 180

11 ( 2001 ) 8 एस. सी. सी. 607

12 ( 1997 ) 3 एस. सी. सी. 261

13 ( 1979 ) 3 एस. सी. सी. 118 रोड एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

16. हालाँकि, सी. बी. आई. के विद्वान वकील ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया

उच्च न्यायालय।

17. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर उचित विचार किया है और

इस न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया। यद्यपि निर्दिष्ट प्रश्न इस मुद्दे से संबंधित है कि क्या आदेश तैयार करना एक अंतर्वर्ती आदेश है, हमने आदेश तैयार करने के आरोप की चुनौती से निपटने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में आगे के प्रश्न पर विचार किया है। जैसा कि पैरा 10 में पहले ही उल्लेख किया गया है, आक्षेपित आदेश में यह भी माना गया है कि

सवाल किया। पक्षों के विद्वान वकीलों ने भी इस प्रश्न पर न्यायालय को संबोधित किया है।

18. बार में उद्धृत सभी निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

यह कहने के लिए पर्याप्त है कि मधु लिमये (उपरोक्त) मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि विधायिका ने मामले के अंतिम निपटारे में देरी को रोकने की मांग की है।

धारा 397 Cr.P.C की उप-धारा 2 के तहत एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के लिए एक बार के माध्यम से आपराधिक मामलों में कार्यवाही। साथ ही, उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति किसी अन्य प्रावधान से सीमित या प्रभावित नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं हो सकता कि पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग की सीमा शून्य निर्धारित की जाए। अंतर्निहित शक्ति का उपयोग न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए किया जा सकता है। इस शक्ति का उपयोग अवैध रूप से या परेशान करने वाली या अधिकार क्षेत्र के बिना शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ बहुत संयम से किया जाना चाहिए। याचिका का लेबल महत्वहीन है। इस न्यायालय ने अमरनाथ बनाम हरियाणा राज्य में लिए गए दृष्टिकोण को संशोधित किया और एस. कुप्पुस्वामी राव (ऊपर) में निर्धारित अंतर्वर्ती आदेश के लिए परीक्षण से भी विचलित हो गया। हम इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों को उद्धृत कर सकते हैंः

" 6. इस अपील में जो बिंदु निर्धारित करने के लिए आता है वह है

इस न्यायालय के एक निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया है, जिसके लिए एक

हममें से (उन्तवालिया, जे.) अमर नाथ बनाम में एक पार्टी थी। की स्थिति

हरियाणा। लेकिन मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर और इस अपील में पक्षों के विद्वान वकील को सुनने पर

अमर नाथ में इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा लिया गया मामला लेकिन कुछ हद तक संशोधित और संशोधित रूप में।

XXXX

XXXX

XXXX

X

XXX

10. जैसा कि अमर नाथ मामले में बताया गया है कि रखने का उद्देश्य

किसी भी वार्ताकार के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति पर रोक

अपील, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित आदेश अंततः मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए होता है। अक्सर, कार्यवाहियों के अंतिम निपटान में देरी करने वाले अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का सहारा लिया जाता था। विधानमंडल ने अपने विवेक में उप-प्रावधान लागू करके इस देरी को रोकने का फैसला किया।

धारा 397 में धारा (2)। एक ओर उच्च न्यायालय (और सत्रों) के मार्ग में बाधा डाली गई है।

न्यायाधीश) किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए, दूसरी ओर, शक्ति

लगभग उन्हीं शर्तों पर सम्मानित किया गया जैसा कि 1898 में था।

कोड। धारा 482 के एक सादे पठन पर, हालांकि, यह होगा कि संहिता में कुछ भी नहीं है, जिसमें उप शामिल होंगे।

धारा 397 की धारा (2) भी, "उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली मानी जाएगी", लेकिन, यदि हम यह कहते हैं कि उक्त प्रतिबंध अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो यह पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोग पर लगाई गई सीमाओं में से एक को शून्य पर स्थापित करेगा। ऐसी स्थिति में, सामंजस्यपूर्ण तरीका क्या है? हमारी राय में, इस समस्या का एक सुखद समाधान यह कहना होगा कि धारा 397 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई बाधा केवल उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में काम करती है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं होगी। फिर अन्य सिद्धांतों में से एक के अनुसार

ऊपर उल्लिखित, अंतर्निहित शक्ति कार्य में आएगी, पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए संहिता में कोई अन्य प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर, यदि हमला किया गया आदेश विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती चरित्र का है जिसे उच्च की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में ठीक किया जा सकता है।

1898 की संहिता के तहत न्यायालय, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर देगा। लेकिन यदि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से ऐसी स्थिति लाता है जो न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या उद्देश्यों को हासिल करने के उद्देश्य से है।

आवश्यक है, तो धारा 397 (2) में निहित कुछ भी सीमित नहीं कर सकता है या उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे। द हाई

न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का बहुत संयम से प्रयोग करना चाहिए।

वन एस. आई. ए. एन. रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

ऐसा मामला रद्द करने की वांछनीयता होगी, ए आपराधिक कार्यवाही अवैध रूप से, कष्टप्रद रूप से या अधिकार क्षेत्र के बिना शुरू की गई। उदाहरण के लिए एक मामला लें जहाँ

बिना मंजूरी के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन शुरू किया जाता है। तब अभियुक्त का मुकदमा अधिकार क्षेत्र के बिना होगा और उसके बरी होने के बाद भी दूसरा

उचित मंजूरी के बाद मुकदमा इस सिद्धांत पर बाधित नहीं होगा

अंतर्वर्ती आदेश। क्या यह कहना तर्कसंगत है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का उपयोग रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है अभियुक्त को अंत तक परेशान करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके आपराधिक कार्यवाही? इसका उत्तर स्पष्ट है कि बार न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और/या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए काम नहीं करेगा। पीड़ित पक्ष द्वारा दायर याचिका का लेबल है -

महत्वहीन है। उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक उपयुक्त मामले में मामले की जांच कर सकता है। वर्तमान मामला निस्संदेह 1973 की संहिता की धारा 482 के अनुसार उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करने के लिए आता है, यह मानते हुए भी कि यह स्वीकार नहीं करते हुए भी कि उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग करना अस्वीकार्य है।

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

13. ..... लेकिन हमारे निर्णय में इस तरह की व्याख्या और इस सिद्धांत का सार्वभौमिक अनुप्रयोग कि जो अंतिम आदेश नहीं है वह एक अंतर्वर्ती आदेश होना चाहिए, न तो वारंट है और न ही उचित है। यदि ऐसा था तो यह धारा 397 (1) द्वारा प्रदत्त सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति को लगभग निरर्थक बना देगा। इस तरह की सख्त व्याख्या पर, केवल उन आदेशों पर ही पुनर्विचार किया जाएगा जो

कार्रवाई के अंतिम निर्धारण पर पारित आदेश हैं लेकिन संहिता के अध्याय XXIX के तहत अपील योग्य नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि विधानमंडल का यह इरादा नहीं था जब उसने 1898 की संहिता के संदर्भ में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति को बरकरार रखा। किन मामलों में तब उच्च न्यायालय किसी आदेश की वैधता या औचित्य या किसी निम्न आपराधिक [2018] 2 एस. सी. आर. की किसी भी कार्यवाही की वैधता की जांच करेगा।

जिसे फाइनल के बाद इसकी जांच के लिए लाया जाता है। निर्धारण और जिसमें कोई अपील नहीं है? इस तरह के मामले

बहुत कम और बहुत दूर रहें।

..... कार्यवाही के दौरान एक आदेश पारित किया जा सकता है जो कुप्पुस्वामी मामले में देखे गए अर्थों में अंतिम नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी यह एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं हो सकता है-शुद्ध या सरल। कुछ प्रकार के आदेश आ सकते हैं

दोनों के बीच। सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के अनुसार, हम सोचते हैं कि धारा 397 की उप-धारा (2) में लगी रोक इस तरह के मध्यवर्ती कार्यों की ओर आकर्षित होने के लिए नहीं है। आदेश "।

19. गुजरात के मोहनलाल मगनलाल थाकर ते में निर्णय का उल्लेख करते हुए, यह माना गया कि इसमें अपनाया गया परीक्षण यह है कि यदि सभी विवादित आदेश कार्यवाही के समापन में परिणाम देते हैं, तो ऐसा अंतर्वर्ती नहीं बल्कि अंतिम आदेश हो सकता है। यह देखा गयाः

" 15. ..... बहुमत के निर्णय में कुछ अंग्रेजी निर्णयों से चार परीक्षण निकाले गए। वे पी में गिने जाते हैं। 688. परीक्षणों में से एक यह है कि "यदि विचाराधीन क्रम को उलट दिया जाता है तो क्या कार्रवाई जारी रखनी होगी?" तत्काल मामले के तथ्यों पर उस परीक्षण को लागू करते हुए यह देखा जाएगा कि यदि अपीलार्थी की याचिका सफल हो जाती है और सत्र न्यायाधीश के आदेश को उलट दिया जाता है, तो उसके खिलाफ शुरू की गई और शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही जारी नहीं रह सकती है। हालाँकि, यदि वह प्रारंभिक बिंदु के गुण-दोष पर हार जाता है तो कार्यवाही जारी रहेगी। कुप्पुस्वामी मामले के परीक्षण को लागू करना इस तरह का आदेश अंतिम आदेश नहीं होगा। लेकिन पी में उल्लिखित चौथे परीक्षण को लागू करना। 688 मोहन लाल के मामले में यह अंतिम आदेश होगा। वास्तविक बिंदु

हालाँकि, अंतर पी पर पाया जाता है। 693 फैसले में

शेलट, जे. का मार्ग इस प्रकार हैः " जैसा कि रमेश बनाम में देखा गया है। गेन्दालाल मोतीलाल पटनी [(1966) 3 एस. सी. आर. 198: ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 1445] उस आदेश की अंतिमता थी

के साथ उस आदेश के सह-संबंध द्वारा न्याय नहीं किया जाएगा

शिकायत में विवाद अर्थात। क्या अपीलार्थी ने उस अपराध को किया था जिसमें उसके खिलाफ आरोप लगाया गया था। तथ्य यह है

यह कि वह विवाद अभी भी जीवित है, अप्रासंगिक है।

) 2 एस. सी. आर. 685 = ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 733 ए. एस. आई. ए. एन. रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

20. मधु लिमये (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत अभी भी मैदान में हैं और चार के निर्णय से किसी भी तरह से कमजोर नहीं हुए हैं।

वी. सी. शुक्ला बनाम राज्य में न्यायाधीश सीबीआई के माध्यम से या गिरीश कुमार सुनेजा बनाम केंद्रीय ब्यूरो में हाल ही में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा

जाँच "। यद्यपि वी. सी. शुक्ला (ऊपर) में, आदेश तैयार करने के आरोप को अंतर्वर्ती आदेश माना गया था, लेकिन मधु लिमये (ऊपर) में एक विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले निर्णय को उसमें विचार किए गए क़ानून के संदर्भ में अलग किया गया था। एस. कुप्पुस्वामी राव (ऊपर) के दृष्टिकोण का समर्थन मोहनलाल मगनलाल थाकर (ऊपर) में किया गया था, हालांकि वास्तव में मधु लिमये (ऊपर) में उक्त दृष्टिकोण को अलग तरीके से समझाया गया था, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। इस प्रकार, इस तथ्य के बावजूद कि वी. सी. शुक्ला (ऊपर) चार न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, यह नहीं माना जा सकता है कि मधु लिमये (ऊपर) का सिद्धांत लागू नहीं होता है। जहां तक गिरीश कुमार सुनेजा (उपरोक्त) के संबंध में, जो तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा है, इस मुद्दे पर विचार किया गया कि क्या इस न्यायालय का आदेश यह निर्देश देता है कि इस न्यायालय के अलावा कोई भी न्यायालय मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव और अन्य मामलों में जांच/मुकदमे पर रोक नहीं लगाएगा। 18 [ कोयला ब्लॉक

ऑर्डर फ़्रेमिंग शुल्क के विरुद्ध। यह देखा गया कि आदेश तैयार करने का आरोप अंतर्वर्ती आदेश होने के कारण इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। धारा 397 (2) के तहत और न ही धारा 482 Cr.P.C.[19] के तहत यह आगे कहा गया कि पी. सी. अधिनियम के मामलों में धारा 482 Cr.P.C.20 के तहत भी कार्यवाही पर रोक नहीं दी जा सकती है।

अनुच्छेद 227 के तहत बहुत बड़ा है, इसका प्रयोग टोपी की बूंद पर नहीं किया जा सकता है जैसा कि शालिनी श्याम शेट्टी बनाम राजेंद्र में किया गया है।

शंकर पाटिल 2 1 निम्नानुसारः

" 37. ..... न्यायिक हस्तक्षेप की इस आरक्षित और असाधारण शक्ति का प्रयोग केवल व्यक्तिगत मामलों में राहत देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि व्यापक जनहित में न्याय के प्रशासन में जनता के विश्वास को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए, जबकि संविधान का अनुच्छेद 226 व्यक्तिगत शिकायत की सुरक्षा के लिए है। इसलिए, अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति निरंकुश हो सकती है लेकिन इसका प्रयोग ऊपर बताए गए उच्च स्तर के न्यायिक अनुशासन के अधीन है।

17 ( 2017 ) 14 एस. सी. सी. 809 18 ( 2014 ) 9 एस. सी. सी. 516

19 पारस 24,25,27

20 पैरा 32

21 ( 2010 ) 8 एस. सी. सी. 329 [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21. यह देखा गया कि धारा 482 Cr.P.C के तहत शक्ति केवल दुर्लभतम मामलों में ही प्राप्त की जा सकती है और अन्यथा नहीं।

38. दंड प्रक्रिया संहिता निस्संदेह अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग केवल अंतिम आदेशों और मध्यवर्ती आदेशों के संबंध में किया जाना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग केवल दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित आदेश को प्रभावी बनाने के लिए अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में किया जाना है या

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग या अन्यथा को रोकें। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस शक्ति का प्रयोग केवल दुर्लभतम मामलों में ही किया जाना चाहिए और नहीं

अन्यथा। यदि यही स्थिति है, और हमारा विचार है कि ऐसा है, तो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 का सहारा लेना शायद सबसे असाधारण मामले में ही अनुमत होगा। उच्च न्यायालय की संवैधानिक अधिकारिता को लागू करने के लिए जब आपराधिक प्रक्रिया संहिता अभियुक्त व्यक्ति के लाभ के लिए एक निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई के हित में इसे प्रतिबंधित करती है, तो हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि चूंकि संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 एक अभियुक्त व्यक्ति के लिए उपलब्ध हैं, इन प्रावधानों का उपयोग उन मामलों में किया जाना चाहिए जो दुर्लभ से दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन

तुच्छ मुद्दे।

22. रिलायंस को सात न्यायाधीशों की पीठ तार सिंह बनाम पंजाब राज्य 22 द्वारा निम्नलिखित निर्णय पर रखा गया थाः

" 40. ..... यदि उच्च न्यायालय जमानत आवेदनों पर विचार करते हैं

अनुच्छेद 226 के तहत उनके असाधारण अधिकार क्षेत्र का आह्वान करना। और आदेश पारित करें, तो अधिनियम की योजना और उद्देश्य और संसद का इरादा पूरी तरह से होगा

पराजित और निराश। लेकिन साथ ही यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालयों का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसलिए, हम अब्दुल मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। हामिद हाजी मोहम्मद [(1994) 2 एस. सी. सी. 664] ने कहा कि यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करने के लिए इच्छुक है, तो उस शक्ति का उपयोग सबसे कम और केवल चरम परिस्थितियों में दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में किया जाना चाहिए।

वे दुर्लभ मामले क्या हैं और क्या होंगे?

) 3 एस. सी. सी. 569 एस. आई. ए. एन. रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

परिस्थितियाँ जो मनोरंजन को उचित ठहराती हैं अनुच्छेद 226 के तहत आवेदनों को जलडमरूमध्य में नहीं रखा जा सकता है।

23. यह आगे देखा गया कि धारा 19 (3) (सी) में निहित बार को देखते हुए पी. सी. एस. में कोई रोक नहीं दी जा सकती है। प्रासंगिक राशन इस प्रकार हैंः

" 64. पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (3) को पढ़ने से संकेत मिलता है कि यह तीन स्थितियों से संबंधित हैः ( i) खंड (क) एक ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां विशेष न्यायाधीश द्वारा अंतिम निर्णय और सजा दी गई है। हम इस स्थिति से चिंतित नहीं हैं। ( (ख) खंड (ख) अभियुक्त व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा मंजूरी देने में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता की स्थिति में पी. सी. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने से संबंधित है। यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी अदालत ऐसे आधार पर कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी सिवाय इसके कि अदालत का समाधान हो कि त्रुटि, चूक या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है-तभी और केवल तभी अदालत पी. सी. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगा सकती है। ( (iii) खंड (ग)

के ठहराव के खिलाफ एक कंबल निषेध प्रदान करता है

पी. सी. अधिनियम के तहत कार्यवाही भले ही न्याय की विफलता हो [निश्चित रूप से खंड (बी) के अधीन]। यह आदेश देता है कि कोई भी अदालत "किसी अन्य आधार पर" कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी जो कि संबंधित आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर है।

मंजूरी में त्रुटि, चूक या अनियमितता जिसके परिणामस्वरूप

न्याय की विफलता।

65. पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (3) के खंड (बी) और खंड (सी) के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट होता है कि

कार्यवाहियां केवल और केवल तभी दी जा सकती हैं जब किसी के लिए दी गई मंजूरी में कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता हो। अभियोजन और वह त्रुटि, चूक या अनियमितता है

इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई। न्याय की विफलता होने पर भी, किसी अन्य आधार पर पी. सी. अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए कोई अन्य स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। खंड (ग) अतिरिक्त रूप से किसी भी मुकदमे में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग पर निषेध को अनिवार्य करता है जैसे कि हम पहले ही संदर्भित कर चुके हैं। हमारी राय में,

पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (3) के खंड (बी) और (सी) के प्रावधान एक साथ पढ़ने पर काफी स्पष्ट हैं और इनमें से किसी को भी स्वीकार नहीं करते हैं।

अस्पष्टता या किसी और व्याख्या की आवश्यकता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. हम रतिलाल भंजी मिथानी बनाम सहायक मामले में संविधान पीठ की टिप्पणियों का भी उल्लेख कर सकते हैं। सीमा शुल्क कलेक्टर, बॉम्बे और Anr.2³ उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति की प्रकृति के बारे में:

" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए द्वारा संरक्षित उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियां इस प्रकार कला के अर्थ के भीतर "कानून" द्वारा निहित हैं। 21. अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाती है। इस तरह के नियम बनाने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। पहले से लागू नियम संविधान के अनुच्छेद 372 द्वारा लागू थे।

25. जैसा कि विवादित फैसले में ठीक ही उल्लेख किया गया है, एल. चंद्र कुमार (उपरोक्त) मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने उच्च न्यायालय की उस शक्ति को अभिनिर्धारित किया

अनुच्छेद 227 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना संविधान की मूल संरचना का हिस्सा था।

26. इस प्रकार, भले ही विभिन्न स्थितियों से निपटने में, यह मानते हुए परस्पर विरोधी टिप्पणियां की गई हों कि आदेश

आरोप तय करना अंतर्वर्ती आदेश था और हस्तक्षेप के लिए उत्तरदायी नहीं था

धारा 397 (2) के तहत या यहां तक कि धारा 482 Cr.P.C के तहत, मधु लिमये (ऊपर) में निर्धारित सिद्धांत अभी भी लागू है। आदेश तैयार करने के आरोप को विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं माना जा सकता है और किसी भी स्थिति में संविधान की धारा 397 (2) Cr.P.C या 482 Cr.P.C या अनुच्छेद 227 के तहत हस्तक्षेप किया जा सकता है, जो एक संवैधानिक प्रावधान है, लेकिन आरोप तैयार करने के आदेश में हस्तक्षेप करने और स्थगन देने की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रयोग केवल एक असाधारण स्थिति में किया जाना है।

आदेश निर्धारण शुल्क और स्थगन देने के लिए भी, लेकिन इस तरह की शक्ति का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए और कब स्थगन दिया जाना चाहिए, इस पर आगे विचार करने की आवश्यकता है। 28. जैसा कि पी. सी. अधिनियम के मामलों में गिरीश कुमार सुनेजा (ऊपर) में देखा गया है, विधायिका का इरादा मुकदमे का शीघ्र समापन करना है।

कार्यवाही के स्थगन के माध्यम से बिना किसी बाधा के दिन-प्रतिदिन के आधार पर और इस चिंता का सम्मान किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने पी. सी. अधिनियम की धारा 22 (डी) द्वारा जोड़ी गई धारा 397 (1) Cr.P.C के प्रावधान पर भी ध्यान दिया कि एक पुनरीक्षण न्यायालय सामान्य रूप से कार्यवाही के रिकॉर्ड के लिए नहीं बुलाएगा। अगर

23 [ 1967 ] 3 एस. सी. आर. 926 रोड एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

रिकॉर्ड को कॉल किया जाता है, विशेष न्यायाधीश मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हो सकता है जो अप्रत्यक्ष रूप से रोक दिया जाएगा। अभियुक्त के अधिकार पर समाज के हित की दृष्टि से विचार किया जाना चाहिए। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, कर्तार सिंह (उपर्युक्त) मामले में सात न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि

अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय की संवैधानिक शक्ति जो बहुत व्यापक थी, का उपयोग न्यायिक विचार और अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों के अनुसार सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। दुर्लभ और चरम परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए।

29. यह सर्वविदित है कि आपराधिक मुकदमे में देरी, विशेष रूप से पीसी अधिनियम के मामलों में, न्याय के प्रशासन पर हानिकारक प्रभाव डालती है

जिसमें समाज की महत्वपूर्ण रुचि होती है। मुकदमों में देरी कानून के शासन और कानूनी प्रणाली की प्रभावशीलता में विश्वास को प्रभावित करती है। यह सामाजिक कल्याण और विकास को प्रभावित करता है। दीवानी या कर मामलों में भी यह निर्धारित किया गया है कि

रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग संयम के साथ किया जाना चाहिए। केवल प्रथम दृष्टया मामला पर्याप्त नहीं है। ठहराव की मांग करने वाले पक्ष को शर्तों पर रखा जाना चाहिए और ठहराव देरी के लिए प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। स्थगन देने वाला आदेश अनिवार्य है

मन का अनुप्रयोग दिखाएँ। ठहराव देने की शक्ति के साथ जोड़ा गया है

दो-तीन महीने के भीतर। 31. विधायिका के विवेक और आपराधिक कार्यवाही के अंतिम और त्वरित निपटान के उद्देश्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके अभ्यास में

उच्च न्यायालय की शक्ति किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को संतुलित करने की है

एक तरफ समाज की सुरक्षा और दूसरी तरफ समाज की सुरक्षा। केवल पेटेंट अवैधता या अधिकारिता की कमी के मामले में उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है। स्वीकार किया गया अनुभव यह है कि जहां आदेश तैयार करने के आरोप को चुनौती दी जाती है, वहां मामला लंबे समय तक लंबित रहता है। न्याय के हित को पराजित करता है।

32. हम पहले ही न्यायिक अनुभव का हवाला दे चुके हैं जैसा कि ऊपर पैरा 9 में पहले के फैसलों में उल्लेख किया गया है कि भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई नहीं होती है।

24 सिलीगुड़ी नगरपालिका बनाम अमलेंदु दास (1984) 2 एस. सी. सी. 436 पैरा 4; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर, चंदन नगर, पश्चिम बंगाल बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड और अन्य। ( 1985 ) 1 एस. सी. सी. 260 पैरा 5; केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी और अन्य। बनाम। पी. वी. सुरेश और अन्य। ( 1994 ) 2 एस. सी. सी. 70 पैरा 15; और पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य। बनाम कलकत्ता हार्डवेयर स्टोर और अन्य। ( 1986 ) 2 एस. सी. सी. 203 पैरा 5 [2018] 2 एस. सी. आर.

उच्च न्यायालयों के समक्ष। एक बार रोक लगने के बाद, उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के निपटारे में लंबा समय लगता है। आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए सावधानीपूर्वक जाँच की आवश्यकता नहीं हो सकती है विशाल सामग्री जो एक लघु परीक्षण की प्रकृति में हो सकती है। फिर भी, अदालत को कभी-कभी ऐसा करने के लिए कहा जाता है, भले ही कानून स्पष्ट हो कि आरोप के स्तर पर अदालत को केवल यह देखना है कि क्या रिकॉर्ड पर सामग्री आरोपी को अपराध से यथोचित रूप से जोड़ती है। इस न्यायालय की संविधान पीठ ने हरदिप सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में 25

देखा गयाः

100. तथापि, ऐसे मामलों की एक श्रृंखला है जिसमें इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227,228,239,240,241,242 और 245 के प्रावधानों पर विचार करते हुए लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि आरोप तय करने के चरण में न्यायालय को इस प्रश्न पर अपना दिमाग लगाना होगा कि क्या अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने का अनुमान लगाने के लिए कोई आधार है या नहीं। अदालत को यह देखना होगा कि क्या अभिलेख पर लाई गई सामग्री अभियुक्त को अपराध से यथोचित रूप से जोड़ती है। अधिक पूछताछ की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त प्रावधानों से निपटने के दौरान, प्रथम दृष्टया मामले का परीक्षण लागू किया जाना है। अदालत को यह पता लगाना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा सबूत के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली सामग्री हैं

अदालत के लिए अभियुक्त के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त है। ( कर्नाटक राज्य बनाम। एल. मुनिस्वामी [(1977) 2 एससीसी 699], अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ बनाम। भारत संघ [(1989) 4 एस. सी. सी. 90] स्त्री अतिचार विरोधी परिषद बनाम। दिलीप नाथुमल चोर्डिया [(1989) 1 एस. सी. सी. 715] एम. पी. बनाम राज्य। कृष्ण चंद्र सक्सेना [(1996) 11 एस. सी. सी. 439] और राज्य

एम. पी. बनाम मोहनलाल सोनी [(2000) 6 एससीसी 338] 101. दिलावर बालू कुराने बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2002) 2 एस. सी. सी. 135] इस न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 227 और 228 के प्रावधानों पर विचार करते हुए बहुत अधिक निर्भरता रखी।

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय के पूर्व निर्णय पर। प्रफुल्ल कुमार सामल [(1979) 3 एस. सी. सी. 4] ने अभिनिर्धारित किया कि आरोप तय करने के प्रश्न पर विचार करते हुए, न्यायालय यह पता लगाने के सीमित उद्देश्य के लिए साक्ष्य पर विचार कर सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।

25 ( 2014 ) 3 एस. सी. सी. 92 एस. आई. ए. एन. रीसरफेसिंग ऑफ रोड एजेंसी v. सी. बी. आई. [आदर्श कुमार गोएल, जे।]

यह पता लगाया गया है कि क्या अदालत के समक्ष रखी गई सामग्री अभियुक्त के खिलाफ गंभीर संदेह का खुलासा करती है जिसे ठीक से समझाया नहीं गया है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय आरोप तय करने और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में न्यायसंगत है। अदालत को व्यापक संभावनाओं पर विचार करना होगा

मामले का, अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य और दस्तावेजों का कुल प्रभाव, लेकिन अदालत को यह नहीं करना चाहिए कि

मामले के पक्ष और विपक्ष की बारी-बारी से जांच करना और सबूतों को तौलना जैसे कि यह एक मुकदमा चला रहा है।

102. सुरेश बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(2001) 3 एससीसी 703],

इस न्यायालय ने निरंजन सिंह करम सिंह पंजाबी बनाम मामले में पहले के फैसलों पर ध्यान देने के बाद। जितेंद्र भीमराज बिज्जया [(1990) 4 एस. सी. सी. 76] और महाराष्ट्र राज्य बनाम। प्रिया शरण महाराज [(1997) 4 एस. सी. सी. 393], निम्नानुसार आयोजितः ( सुरेश मामला, एस. सी. सी. पी. 707, पैरा 9)

" 9. ..... धारा 227 और 228 के स्तर पर न्यायालय है -

अभिलेख पर सामग्री और दस्तावेजों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या उनसे सामने आने वाले तथ्य उनके अंकित मूल्य पर कथित अपराध का गठन करने वाले सभी तत्वों के अस्तित्व का खुलासा करते हैं। अदालत, इस सीमित उद्देश्य के लिए, साक्ष्य की छान-बीन कर सकती है क्योंकि उस प्रारंभिक चरण में भी उन सभी को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है जिन्हें अभियोजन पक्ष सुसमाचार सत्य के रूप में बताता है, भले ही वह सामान्य ज्ञान या मामले की व्यापक संभावनाओं के खिलाफ हो।

इसलिए, आरोप तय करने के चरण में अदालत को यह पता लगाने के लिए सामग्री पर विचार करना होगा कि क्या * * ने यह मानने के लिए आधार बनाया है कि अभियुक्त ने

अपराध * * या कि उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है और * * पर पहुंचने के उद्देश्य से नहीं

**

निष्कर्ष यह है कि इससे दोषसिद्धि होने की संभावना नहीं है (प्रिया शरण मामला, एस. सी. सी. पी. 397, पैरा 8) "

( मूल में जोर)

103. इसी तरह बिहार राज्य में v. रमेश सिंह (1997) 4 एस. सी. सी. 39], इस मुद्दे पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दियाः ( एससीसी

पी। 42 , पैरा 4)

यदि सबूत जिसे अभियोजक प्रस्तावित करता है

" 4 .

अभियुक्त के अपराध को साबित करने के लिए, भले ही पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो [2018] 2 एस. सी. आर.

इससे पहले कि उसे प्रतिपरीक्षा में चुनौती दी जाए या बचाव पक्ष के साक्ष्य द्वारा खंडन किया जाए, यदि कोई हो, तो यह नहीं दिखा सकता कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो कोई पर्याप्त आधार नहीं होगा।

मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए "।

33. यदि उपरोक्त कानून के विपरीत, आरोप के स्तर पर, उच्च न्यायालय संभावनाओं को तौलने और पुनः मूल्यांकन करने का दृष्टिकोण अपनाता है।

सामग्री, यह निश्चित रूप से एक समय लेने वाला अभ्यास हो सकता है। इस प्रकार मुकदमे के शीघ्र अंतिम निपटारे की विधायी नीति बाधित होती है। इस प्रकार, इस विचार को दोहराते हुए कि अधिकार क्षेत्र की कमी की पेटेंट त्रुटि को ठीक करने के लिए असाधारण स्थिति में आरोप तैयार करने के आदेश के खिलाफ चुनौती पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा नहीं है, इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम तक सीमित होना चाहिए। भले ही आरोप तय करने का आदेश देने की चुनौती पर विचार किया जाए, लेकिन ऐसी याचिका के निर्णय में देरी नहीं की जानी चाहिए। हालांकि कोई अनिवार्य समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, आम तौर पर यह दो-तीन महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि रोक दी जाती है, तो यह आम तौर पर बिना शर्त या अनिश्चित काल की नहीं होनी चाहिए। उपयुक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं ताकि जिस पक्ष के पक्ष में स्थगन दिया जाता है वह जवाबदेह हो यदि अदालत को अंततः मामले में कोई योग्यता नहीं मिलती है और दूसरे पक्ष को नुकसान और अन्याय का सामना करना पड़ता है। विधायी नीति और आपराधिक मामलों में त्वरित न्याय के लिए अनुच्छेद 21 के अधिदेश को प्रभावी बनाने के लिए, यदि रोक दी जाती है, तो मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर लिया जाना चाहिए और दो-तीन महीने के भीतर समाप्त किया जाना चाहिए। जहां मामला लंबे समय तक लंबित रहता है, वहां छह महीने की समाप्ति पर रोक का आदेश खाली हो जाएगा, जब तक कि एक बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है।

असाधारण स्थिति जहाँ विचारण न्यायालय द्वारा मुकदमे के अंतिम निपटारे के बजाय निरंतर रोक को प्राथमिकता दी जानी थी। यह समय सीमा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए तय की जा रही है कि इस तरह के परीक्षण सामान्य रूप से एक से दो वर्षों में समाप्त होने की उम्मीद है।

34. इम्तियाज अहमद बनाम स्टेट ऑफ U.P.26 में इस न्यायालय ने एक रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहाः

" ( क) 9 प्रतिशत से अधिक मामलों ने पूरा कर लिया है।

स्थगन आदेश की तारीख से बीस साल।

( ख) लगभग 21 प्रतिशत मामले दस से अधिक पूरे कर चुके हैं।

वर्षों से।

( ग) प्रति मामला औसत विचाराधीनता (गणना की तारीख से)

26-7-2010) तक ठहरने का क्रम लगभग 7.40 वर्ष का होता है।

( घ) आरोप पत्र सबसे प्रमुख चरण पाया गया। जहाँ लगभग 32 प्रतिशत मामलों पर रोक लगा दी गई थी

यह इस श्रेणी में आता है। अगले दो प्रमुख चरण 'उपस्थिति' और 'समन' पाए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक के साथ

यह कुल मामलों का 19 प्रतिशत है। अगर

' उपस्थिति 'और' समन 'हैं

माना जाता है

विनिमेय, फिर वे सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे

अधिकतम स्थगन आदेश "।

उपरोक्त परिदृश्य पर ध्यान देने के बाद, न्यायालय ने निर्देश दियाः

" 55. उच्च न्यायालयों को बेहतरी के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं।

कानून के शासन और बेहतर प्रशासन का रखरखाव

न्यायः

एकत्रित रूप में आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए, यह न्यायालय सबसे महत्वपूर्ण कारक को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं

न्याय का प्रशासन। उच्च न्यायालय का अधिकार

एफ. आई. आर. दर्ज करने के अनुसरण में जाँच पर रोक लगाने का आदेश, या योग्य मामलों में मुकदमा निर्विवाद है। लेकिन यह न्यायालय है

इस दृष्टिकोण से कि इस प्राधिकरण का प्रयोग इसके साथ होता है

मामले को शीघ्रता से निपटाने की जिम्मेदारी। द.

जांच और मुकदमे पर रोक लगाने की शक्ति उच्च न्यायालयों को दी गई एक बहुत ही असाधारण शक्ति है और वही

शक्ति का प्रयोग केवल प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने और न्याय के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए यह

( (ii) एक बार इस तरह की शक्ति का प्रयोग होने के बाद, उच्च न्यायालय को उस मामले की दृष्टि न खोएं जहाँ उसने अपना प्रयोग किया है

जाँच और मुक़दमे को जारी रखने की असाधारण शक्ति।

( (iii) उच्च न्यायालय को अंत में इसे एक बिंदु बनाना चाहिए -

ऐसी कार्यवाहियों का जल्द से जल्द निपटारा करना लेकिन

अधिमानतः स्थगन आदेश जारी होने की तारीख से छह महीने के भीतर।

56. यह सच है कि इस न्यायालय के पास अधीक्षण की कोई शक्ति नहीं है

उच्च न्यायालय के ऊपर जैसा कि उच्च न्यायालय ने जिले पर किया है

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत न्यायालय। इस न्यायालय की तरह, [2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उच्च न्यायालय समान रूप से पूर्ण अधिकारिता के साथ अभिलेख का एक उच्चतर न्यायालय है। हमारे संविधान के तहत उच्च न्यायालय इस न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय नहीं है। हालाँकि, इस न्यायालय को उच्च न्यायालय और कुछ अन्य पर भी अपीलीय शक्तियाँ प्राप्त हैं।

अन्य आकस्मिक शक्तियाँ। लेकिन अंतिम न्यायालय के रूप में और पूर्ण न्याय करने की इस न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करते हुए, जिसमें जनहित में न्याय के प्रशासन में सुधार करने की शक्ति शामिल है, यह न्यायालय कानून के शासन और न्याय वितरण प्रणाली में आम आदमी के विश्वास को बनाए रखने के लिए उपरोक्त दिशानिर्देश देता है, दोनों अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।

35. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कार्यवाही की स्थिति लंबित है

इस स्थिति को सुधारने के प्रयास में, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि सभी लंबित मामलों में जहां दीवानी या आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही के खिलाफ रोक चल रही है, वह आज से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएगी, जब तक कि एक असाधारण मामले में एक बोलने वाले आदेश द्वारा नहीं। इस तरह के ठहराव को बढ़ाया जाता है। जिन मामलों में भविष्य में रोक दी जाती है, वे ऐसे आदेश की तारीख से छह महीने की समाप्ति पर समाप्त हो जाएंगे जब तक कि

समान विस्तार एक बोलने के आदेश द्वारा दिया जाता है। बोलने के आदेश को यह दिखाना चाहिए कि मामला इतनी असाधारण प्रकृति का था कि मुकदमे को अंतिम रूप देने की तुलना में रोक जारी रखना अधिक महत्वपूर्ण था। मुकदमे की सुनवाई

जिस न्यायालय में दीवानी या आपराधिक कार्यवाही पर रोक का आदेश प्रस्तुत किया जाता है, वह रोक के आदेश की छह महीने से अधिक की तारीख तय नहीं कर सकता है ताकि रोक की अवधि समाप्त होने पर, कार्यवाही तब तक शुरू हो सके जब तक कि रोक के विस्तार का आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

36. इस प्रकार, हम कानून को यह घोषित करते हैं कि आदेश बनाने का आरोप विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है और न ही अंतिम आदेश है। का अधिकार क्षेत्र याचिका के लेबल की परवाह किए बिना उच्च न्यायालय को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, चाहे वह संविधान की धारा 397 या 482 Cr.P.C या अनुच्छेद 227 के तहत हो। तथापि, उक्त अधिकारिता का प्रयोग विधायी नीति के अनुरूप किया जाना चाहिए ताकि किसी भी तरह से बाधित हुए बिना मुकदमे का शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार, आरोप के आदेश के लिए चुनौती को केवल एक पेटेंट को सही करने के लिए दुर्लभतम मामले में स्वीकार किया जाना चाहिए।

अधिकारिता की त्रुटि और मामले को फिर से महत्व नहीं देना। यहां तक कि जहां इस तरह की चुनौती पर विचार किया जाता है और रहने की अनुमति दी जाती है, वहां भी मामला सड़क एजेंसी का एशियाई पुनरुद्धार होना चाहिए।

सी. बी. आई.

यह दिन-प्रतिदिन के आधार पर तय किया जाता है ताकि ठहराव अनावश्यक रूप से लंबे समय तक न चले। हालांकि कोई अनिवार्य समय सीमा तय नहीं की जा सकती है, निर्णय

सामान्य रूप से दो-तीन महीने से अधिक नहीं हो सकता है। यदि यह लंबे समय तक लंबित रहता है, तो रहने की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए, जब तक कि एक विशिष्ट बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तार नहीं दिया जाता है, जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है। त्वरित न्याय का अधिदेश पी. सी. अधिनियम के मामलों के साथ-साथ अन्य मामलों पर भी लागू होता है जहां परीक्षण चरण की कार्यवाही पर उच्च न्यायालय यानी उच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी जाती है।

उच्च न्यायालय के नीचे का न्यायालय, जैसा भी मामला हो। पी. सी. अधिनियम या अन्य सभी से संबंधित उच्च न्यायालयों या अन्य न्यायालयों के समक्ष सभी लंबित मामलों में

दीवानी या आपराधिक मामले, जहां एक लंबित मुकदमे में कार्यवाही की रोक चल रही है, रोक आज से छह महीने के बाद स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएगी जब तक कि उपरोक्त मापदंडों पर एक बोलने वाले आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता है। एक ही कोर्स हो सकता है

उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के तहत दीवानी और आपराधिक अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालयों द्वारा भी अपनाया जाएगा। निचली अदालतें, उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर, किसी अन्य सूचना की प्रतीक्षा किए बिना कार्यवाही फिर से शुरू कर सकती हैं, जब तक कि रोक बढ़ाने का स्पष्ट आदेश प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

37. उच्च न्यायालय इस आशय के निर्देश भी जारी कर सकते हैं और उनकी निगरानी कर सकते हैं ताकि दीवानी या आपराधिक कार्यवाही न रहे।

परीक्षण चरण में अनुचित अवधि के लिए लंबित।

38. जिस प्रश्न का उल्लेख किया गया है उसका उत्तर दिया गया है। इस मामले को अन्य संबंधित मामलों के साथ अब पहले मामले के रूप में एक उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सकता है, बशर्ते बुधवार, 18 अप्रैल, 2018 को रात भर आंशिक सुनवाई हो।

इस आदेश की एक प्रति आवश्यक होने पर सभी उच्च न्यायालयों को भेजी जाए।

कार्रवाई।

ध्यान दें: उद्धरणों में प्रकाश डालना हमारे द्वारा है

आर. एफ. नरीमन, जे. (सहमति) 1. भ्रष्टाचार का कैंसर

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह राज्य के महत्वपूर्ण अंगों को खा गया है। कैंसर एक भयावह बीमारी है, जिसे अगर समय पर अंकुरित नहीं किया जाता है, तो यह मृत्यु का कारण बनती है। ब्रिटिश भारत में, दंड संहिता द्वारा भ्रष्टाचार के कैंसर से निपटा गया

इसके अध्याय IX में लोक सेवक। स्वतंत्रता से पहले भी, इन प्रावधानों को इस बीमारी की तेजी से शुरुआत से निपटने के लिए अपर्याप्त पाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 लागू किया गया था। इस अधिनियम में दो बार संशोधन किया गया था-एक बार आपराधिक कानून द्वारा।

( संशोधन) अधिनियम, 1952 और दूसरी बार भ्रष्टाचार विरोधी कानून (संशोधन) अधिनियम, 1964 द्वारा, [2018] 2 एस. सी. आर. की सिफारिशों के आधार पर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नाम समिति। 1947 के अधिनियम के एक कार्य से पता चला कि यह था

1. भ्रष्टाचार की बीमारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपर्याप्त होना। इस कारण से, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 थाघ (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित)। अधिनियम के लिए ऑब्जेक्ट इजन्स का विवरण खुलासा कर रहा है और नीचे दिया गया हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

1. इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को बनाना है।

उनके दायरे को व्यापक बनाकर और मजबूत करके अधिक प्रभावी

प्रावधानों को।

2. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 में 1964 में संशोधन किया गया था।

संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर।

लोक सेवकों और उन लोगों के साथ व्यवहार करें जो उन्हें बढ़ावा देते हैं आपराधिक दुराचार। आपराधिक मामले में भी प्रावधान हैं

कानून संशोधन अध्यादेश, 1944, रोग की कुर्की को सक्षम करने के लिए भ्रष्ट माध्यमों से प्राप्त धन, जिसमें शामिल हैं

इस तरह के धन के हस्तांतरणकर्ता। यह विधेयक इन सभी को शामिल करना चाहता है।

संशोधनों के साथ प्रावधान ताकि प्रावधानों को और अधिक बनाया जा सके

लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार का मुकाबला करने में प्रभावी। 3. विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ परिभाषा के दायरे को व्यापक बनाने की परिकल्पना की गई है।

कार्यवाही में तेजी लाने के लिए, दिन-प्रतिदिन के लिए प्रावधान मामलों की सुनवाई और अनुदान के संबंध में निषेधात्मक प्रावधान

अंतर्वर्ती आदेशों पर रोक और संशोधन की शक्तियों का प्रयोग

4. चूंकि धारा 161 से 165-ए के प्रावधान शामिल किए गए हैं। एक बढ़ी हुई सजा के साथ प्रस्तावित कानून में, यह नहीं है

नतीजतन, उन अनुभागों को हटाने का प्रस्ताव है आवश्यक बचत प्रावधान।

5. खंडों पर टिप्पणियाँ इसके प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या करती हैं

बिल "।

( जोर दिया गया)

2. धारा 2 (सी) "लोक सेवक" को परिभाषित करती है। परिभाषा यह है कि

अत्यधिक व्यापक और इसमें मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं जिन्हें कोई कारण या मामला निर्णय के लिए भेजा गया है या

न्याय की अदालत या एक सक्षम सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट-(धारा 2 (सी) (vi) देखें)। कृषि, उद्योग, व्यापार या बैंकिंग में लगी पंजीकृत सहकारी समितियों के पदाधिकारी भी शामिल हैं, जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं-(धारा 2 (सी) (ix देखें)। सरकार या स्थानीय या अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले शैक्षणिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्थानों के पदाधिकारी या कर्मचारी भी शामिल हैं (धारा 2 (सी) (xii) देखें)। धारा 2 (सी) के दो स्पष्टीकरण भी प्रकट कर रहे हैं-जबकि स्पष्टीकरण 1 में कहा गया है कि एक लोक सेवक होने के लिए, किसी को सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं है, स्पष्टीकरण 2 एक वास्तविक, लोक सेवक के विपरीत, उस "स्थिति" को धारण करने के उसके अधिकार में जो भी कानूनी दोष हो सकता है, उसे छूट देता है।

3. इन अपीलों पर निर्णय लेने में धारा 4 (4) का बहुत महत्व है और इसे नीचे दिया गया हैः

" 4. विशेष न्यायाधीशों द्वारा विचारण योग्य मामले।

( 1 ) - ( 3 ) XXX XXX
( 4 ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक विशेष न्यायाधीश, जहां तक व्यवहार्य हो, दिन-प्रतिदिन के आधार पर किसी अपराध का मुकदमा चलाएगा।

धारा 22 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को लागू करती है, जो इस विशेष अधिनियम के तहत मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने वाले संशोधनों के अधीन है। धारा 22 निम्नानुसार हैः

" 22. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 लागू करने के लिए

कुछ संशोधनों के अधीन।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों में

अपराध के संबंध में किसी भी कार्यवाही के लिए उनका आवेदन इस अधिनियम के तहत दंडनीय प्रभाव पड़ता है जैसे कि,

( क) धारा 243 की उप-धारा (1) में, "अभियुक्त को तब बुलाया जाएगा" शब्दों के लिए, "अभियुक्त को तब तुरंत या ऐसे समय के भीतर लिखित रूप में उन व्यक्तियों (यदि कोई हो) की सूची देने की आवश्यकता होगी, जिनकी वह अपने गवाह के रूप में जांच करने का प्रस्ताव करता है और दस्तावेजों (यदि कोई हो) के बारे में।
जिसे वह भरोसा करने का प्रस्ताव करता है और फिर उसे बुलाया जाएगा "प्रतिस्थापित किया गया था;

" बशर्ते कि कार्यवाही स्थगित नहीं की जाएगी या केवल इस आधार पर स्थगित किया गया कि धारा के तहत एक आवेदन

397 कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा बनाया गया है "। ; ( ग) धारा 317 की उप-धारा (2) के बाद, निम्नलिखित उप-धारा

अभियुक्त या उसके वकील का साक्ष्य दर्ज करना और गवाह, अभियुक्त के गवाह को जिरह के लिए वापस बुलाने के अधिकार के अधीन। ;

( घ) धारा 397 की उप-धारा (1) में, स्पष्टीकरण से पहले,

निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया था, अर्थात्:

" बशर्ते कि जहां इस धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग किसी अदालत द्वारा ऐसी कार्यवाहियों के लिए किसी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर किया जाता है, वहां अदालत सामान्य रूप से

कार्यवाही

( a) दूसरे पक्ष को कारण दिखाने का अवसर दिए बिना

अभिलेख क्यों नहीं माँगा जाना चाहिए; या

( ख) यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि अभिलेख की जांच प्रमाणित प्रतियों से कार्यवाही की जा सकती है।

संहिता की मुख्य प्रक्रिया द्वारा प्रदत्त धारा 27, अपील और पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग "निम्नलिखित प्रावधानों के अधीन" किया जाना है -

टी "। धारा 27 इस प्रकार हैः

" 27. अपील और पुनरीक्षण।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, उच्च न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा उच्च न्यायालय को दी गई अपील और पुनरीक्षण की सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जैसे कि विशेष न्यायाधीश का न्यायालय उच्च न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के भीतर 12 मामलों की सुनवाई करने वाला सत्र न्यायालय हो।

4. इन अपीलों में विवाद की जड़ ही सही व्याख्या है। अधिनियम की धारा 19 (3) (ग) और क्या उच्चतर संवैधानिक न्यायालय, सड़क एजेंसी का एस. आई. ए. एन. पुनरुत्थान v.

सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस देश के उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत दायर याचिकाओं में धारा ग) का पालन करने के लिए बाध्य हैं। एक संबद्ध प्रश्न यह है कि क्या उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियां अधिनियम की धारा 482 के तहत कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अक्षम हैं।दंड प्रक्रिया। धारा 19 इस प्रकार हैः

" 19. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी आवश्यक है।

( 1 ) कोई भी अदालत धारा 7,10,11,13 और 15 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, जो कथित तौर पर एक लोक सेवक द्वारा किया गया है, सिवाय पूर्व मंजूरी के, [लोकपाल और लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 में अन्यथा प्रावधान किए गए को छोड़कर] -

( क) एक व्यक्ति के मामले में जो इसके संबंध में कार्यरत है

संघ के कार्य और केंद्र सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा उसके कार्यालय से हटाने योग्य नहीं है। सरकार;

( ख) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो इसके संबंध में कार्यरत है -

किसी राज्य के कार्य और राज्य सरकार द्वारा या उसकी मंजूरी के अलावा अपने पद से हटाने योग्य नहीं है।

सरकार;

( ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, सक्षम प्राधिकारी का

उसे उसके कार्यालय से हटा दें।

( 2 ) जहां किसी भी कारण से कोई संदेह उत्पन्न होता है कि क्या उप-धारा (1) के तहत आवश्यक पूर्व मंजूरी केंद्र सरकार या राज्य द्वारा दी जानी चाहिए।

सरकार या किसी अन्य 9 प्राधिकरण को ऐसी मंजूरी दी जाएगी।

उस सरकार या प्राधिकरण द्वारा जो

लोक सेवक को उसके कार्यालय से हटाने में सक्षम

जिस समय अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था।

प्रक्रिया, 1973 ( क) विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी निष्कर्ष, सजा या आदेश को अदालत द्वारा अपील, पुष्टि या परिवर्तन में उलट या बदला नहीं जाएगा।

उप-धारा (1) के तहत अपेक्षित मंजूरी की अनुपस्थिति या उसमें किसी त्रुटि, चूक, अनियमितता के आधार पर संशोधन, जब तक कि उस अदालत की राय में, वास्तव में, न्याय की विफलता के कारण नहीं हुआ है;

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता का आधार, जब तक कि यह संतुष्ट न हो कि ऐसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है; ( ग) कोई भी अदालत किसी अन्य आधार पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगी और कोई भी अदालत संशोधन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी।

जाँच, विचारण, अपील या अन्य कार्यवाहियों में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में। ( 4 ) उप-धारा (3) के तहत यह निर्धारित करने में कि क्या ऐसी मंजूरी की अनुपस्थिति, या कोई त्रुटि, चूक या अनियमितता है

न्याय की विफलता के कारण या परिणामस्वरूप न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि क्या आपत्ति हो सकती है और होनी चाहिए

कार्यवाही में किसी भी प्रारंभिक चरण में उठाया गया था।

स्पष्टीकरण। — इस धारा के प्रयोजनों के लिए-(ए) त्रुटि

मंजूरी देने के लिए प्राधिकरण की क्षमता शामिल है;

( ख) अभियोजन के लिए आवश्यक मंजूरी में किसी भी आवश्यकता का संदर्भ शामिल है कि अभियोजन किसी निर्दिष्ट प्राधिकारी के कहने पर या किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की मंजूरी या समान प्रकृति की किसी आवश्यकता के साथ होगा।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय में 2-न्यायाधीशों की पीठ को दिए गए एक संदर्भ पर विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने "तीन जो विचार के लिए आते हैं" के रूप में वर्णित किया, जो इस प्रकार हैः

" ( क) क्या 1988 के अधिनियम के तहत आरोप तय करने वाले आदेश को एक अंतर्वर्ती आदेश के रूप में माना जाएगा जिससे इस अभ्यास पर रोक लगेगी।

इस न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति?

( ख) क्या 1988 के अधिनियम की धारा 19 में प्रयोग की गई भाषा, जो संशोधन को प्रतिबंधित करती है, शक्ति के प्रयोग पर भी रोक लगाएगी।

सभी उद्देश्यों के लिए Cr.P.C की धारा 482 के तहत?

( ग) क्या आरोप तय करने के आदेश पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हमला किया जा सकता है? "तीन पहलुओं" के लिए दिए गए उत्तर पैराग्राफ 33 में इस प्रकार हैंः

" 33. हमारी उपरोक्त चर्चा को देखते हुए, हम जवाब देने के लिए आगे बढ़ते हैं

निम्नलिखित शर्तों पर संदर्भः

पुनरीक्षण का आदेश बनाए रखने योग्य नहीं होगा।
( ग) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका और भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका विचारणीय है।

( घ) भले ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक रिट याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाता है, 1988 के अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) में निहित निषेध के संबंध में रोक का आदेश पारित किया जाना चाहिए।

( ई) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और असाधारण परिस्थितियों में सिया राम सिंह (ऊपर), विशेष कुमार (ऊपर), खलील अहमद बशीर अहमद (ऊपर), कमल नाथ और अन्य (ऊपर) रंजीत सिंह (ऊपर) में निर्धारित कानून और क्षेत्र में इसी तरह के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

( च) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत यह स्थापित कानून है।
भारत का प्रयोग "छद्म रूप में अपील के लिबास" के रूप में या साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यवाही का उपयोग बहुत सावधानी, सावधानी, सावधानी और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए।

केवल न्याय की गंभीर विफलता को रोकने के लिए "।

6. भाई जे. गोयल के निर्णय में दोनों पक्षों की दलीलें दी गई हैं और इन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

7. अधिनियम की धारा 19 (3) के अवलोकन से पता चलेगा कि

प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर इस अधिनियम के तहत कार्यवाही पर रोक के खिलाफ निर्णय हटा लिया जाता है यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि त्रुटि, चूक या अनियमितता के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है। धारा 19 (3) के खंड (बी) में यह कहने के बाद, खंड (सी) कहता है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत किसी अन्य आधार पर कार्यवाही पर रोक नहीं लगाएगा। अपीलार्थियों की ओर से तर्क

हमारे सामने यह है कि "किसी अन्य आधार पर" अभिव्यक्ति केवल [2018] 2 एस. सी. आर. के लिए संदर्भित है।

और जो मंजूरी से संबंधित हैं और आम तौर पर सभी कार्यवाहियों से नहीं

अधिनियम। जबकि उत्तरदाताओं के विद्वान वकील तर्क देते हैं

उप-धारा (ग) में नहीं पाए जाने वाले शब्दों को जोड़ने का कोई वारंट नहीं है, अर्थात्, यह आधार केवल मंजूरी से संबंधित होना चाहिए।8. हमारा विचार है कि उत्तरदाता इस मामले में सही हैं।

निम्नलिखित कारणों से ssion:

( i) धारा 19 (3) (बी) उन सभी आधारों को समाहित करती है जो दी गई मंजूरी से संबंधित हैं। यह "कोई भी" शब्द से स्पष्ट है।

यह स्पष्ट करना कि मंजूरी में जो भी त्रुटि, चूक या अनियमितता हो, सभी आधार उससे संबंधित हैं। ढंके हुए हैं।

( ii) यह स्पष्टीकरण (ए) द्वारा आगे स्पष्ट किया गया है, जो एक "त्रुटि" को परिभाषित करता है जिसमें प्राधिकरण की अनुदान देने की क्षमता शामिल है।

मंजूरी।

( iii) "प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी में" शब्द

उपखंड (ख) में निहित उपखंड (ग) में उनकी अनुपस्थिति से स्पष्ट होते हैं, जिससे पता चलता है कि यह कार्यवाही है। उस अधिनियम के
तहत जिसे संदर्भित किया गया है।

( (iv) "किसी अन्य आधार पर" अभिव्यक्ति, इसलिए, कार्यवाही में उपलब्ध सभी आधारों को संदर्भित करती है और उनसे संबंधित है।

मंजूरी से संबंधित आधारों के अलावा अधिनियम के तहत

प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया।

( v) इस धारणा पर कि एक अस्पष्टता है, और यह कि दो विचार संभव हैं, वह दृष्टिकोण जो अधिनियम के उद्देश्य के साथ सबसे अधिक मेल खाता है, और जो अधिनियम को व्यवहार्य बनाता है, अनिवार्य रूप से नियंत्रक दृष्टिकोण होना चाहिए। यह एक स्थापित कानून है कि दंडात्मक कानून भी न केवल उनकी शाब्दिक भाषा द्वारा, बल्कि संसद द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य द्वारा भी शासित होते हैं। ( डॉ. मंजुला के माध्यम से सुश्री इरा को देखें

क्रिपेंडॉर्फ बनाम। राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली की सरकार) और ए. एन. आर. ,

2017 पैराग्राफ 134-140 पर SCC ऑनलाइन SC 787)।

( (vi) मधु लिमये बनाम। महाराष्ट्र राज्य, (1977) 4

558 पर एस. सी. सी. 551, इस न्यायालय ने कहा, "यह इंगित किया गया है।

बार-बार, उदाहरण के लिए, द रिवर वियर

आयुक्त बनाम। विलियम एडमसन (1876-77) 2 AC 743 रोड एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान v.

सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और आर. एम. डी. चमरबागवाला बनाम। भारत संघ,

ए. आई. आर. 1957 एस. सी. 628, कि यद्यपि किसी विशेष क़ानून में आने वाले शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हैं, उनकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए जो इस संदर्भ में उपयुक्त हो।

कानून के अन्य प्रावधान और विधानमंडल के वास्तविक इरादे को सामने लाते हैं। जैसा कि ऊपर निकाले गए उद्देश्यों और कारणों के कथन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 19 (3) (सी) को धारा 4 (4) और धारा 22 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो सभी यह स्पष्ट करते हैं कि अधिनियम के तहत मामलों को -

अत्यधिक प्रेषण के साथ और बिना किसी गड़बड़ी के निर्णय लिया गया

अंतर्वर्ती स्थगन आदेशों के रूप में। 1.

( vii) अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि

धारा 19 की धारा (4) यह स्पष्ट करेगी कि उप-धारा (3) सहित धारा 19 की विषय वस्तु केवल मंजूरी और मंजूरी है। यह तर्क इस सरल कारण से गलत है कि उप-धारा (4) की विषय वस्तु केवल
धारा 19 (3) (ए) और (बी) के परंतुक की प्रकृति,

1 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 22 (ए) के तहत, धारा 243 (1) को कड़ा कर दिया गया है, जिसमें अभियुक्त से लिखित रूप में, एक बार में या ऐसे समय के भीतर, जिसकी अदालत अनुमति दे, उन व्यक्तियों की एक सूची देने की आवश्यकता होती है, जिनसे वह गवाह के रूप में पूछताछ करने का प्रस्ताव करता है और जिन दस्तावेजों पर वह भरोसा करने का प्रस्ताव करता है, ताकि मुकदमे को अत्यधिक प्रेषण के साथ जारी रखा जा सके। इसी तरह, धारा 22 के उपखंड (बी) में, धारा 309 के तहत एक चौथा परंतुक यह सुनिश्चित करते हुए जोड़ा गया है कि केवल इस आधार पर कोई स्थगन नहीं होगा कि एक आवेदन

धारा 397 के तहत कार्यवाही में एक पक्ष द्वारा बनाया गया है। धारा 22 के उपखंड (ग) के तहत, एक न्यायाधीश, धारा 317 (1) और (2) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, यदि वह उचित समझता है और उचित कारण से, आरोपी या उसके वकील की अनुपस्थिति में जांच या मुकदमे के साथ आगे बढ़ सकता है और किसी भी गवाह का साक्ष्य दर्ज कर सकता है, बशर्ते कि आरोपी को गवाह को जिरह के लिए वापस बुलाने का अधिकार हो। यह फिर से किया जा सकता है ताकि अधिनियम के तहत जांच या मुकदमे की कार्यवाही में कोई देरी न हो। जहाँ तक उपखंड (घ) का संबंध है, यह न्यायालय गिरीश कुमार सुनेजा बनाम. सी. बी. आई., (2017) 14 एस. सी. सी. 809 847 में आयोजित किया गया हैः

" दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (1) में प्रावधान जोड़कर, संसद ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष मामले के रिकॉर्ड नहीं बुलाना उचित होगा, भले ही उच्च न्यायालय अपने पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। इसका कारण स्पष्ट रूप से यह है कि एक बार अभिलेख मांगे जाने के बाद, विशेष न्यायाधीश मुकदमे के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिस अभियुक्त ने उच्च न्यायालय के पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र का आह्वान किया है, वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं है और साथ ही साथ मुकदमा भी बाधित नहीं है।

अप्रत्यक्ष रूप से रुक गया या अन्यथा बाधित हुआ, संसद ने स्पष्ट कर दिया है

अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर बनाया गया। स्पष्ट रूप से, संसद का इरादा यह है कि इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पी. सी. अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई। "[2018] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

यह स्पष्ट है कि मंजूरी पर रोक लगाने का आधार

न्याय की विफलता को जल्द से जल्द लिया जाना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो इस पर खारिज कर दिया जाएगा।

अकेला मैदान।

( viii) धारा 19 (3) (सी) यह स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो गई कि अधिनियम के तहत कार्यवाही पर केवल इस मामले में रोक लगाई जा सकती है -

मंजूरी में त्रुटि, चूक या अनियमितता की संभावना, जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, और बिना किसी अन्य कारण के। यही कारण था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) की भाषा में यह दोहराना भी आवश्यक था कि उन मामलों को छोड़कर अन्य सभी मामलों में

धारा 19 (3) (बी) के अंतर्गत आने वाला कोई भी न्यायालय अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा जो

पारित किया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा 19 (3) (सी) के इस भाग की पहुंच इस अधिनियम के प्रत्येक चरण में है। कार्यवाही, अर्थात जाँच, विचारण, अपील या अन्यथा, यह स्पष्ट करते हुए कि, इच्छित उद्देश्य के अनुरूप

इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार के मुकदमों की रोकथाम की सुनवाई न केवल सामान्य अदालतों के अलावा अन्य अदालतों द्वारा की जानी चाहिए, बल्कि यथासंभव शीघ्रता से निपटाई जानी चाहिए, क्योंकि अन्यथा भ्रष्ट लोक सेवक पद पर बने रहेंगे और बड़े पैमाने पर समाज के लिए कैंसरकारी होंगे, जो राष्ट्र के ताने-बाने को खा जाएंगे।

9. यह सवाल कि क्या उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति अधिनियम के तहत एक मुकदमे पर रोक लगाने के लिए उपलब्ध होगी, आवश्यक रूप से हमें इस जांच की ओर ले जाती है कि क्या ऐसी अंतर्निहित शक्ति सांविधिक कानून के विपरीत सांविधिक है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह सराहना की जानी चाहिए कि उच्च न्यायालय संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं और अभिलेख न्यायालय हैं जिनके पास ऐसी अदालतों की सभी शक्तियां होंगी, जिसमें स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति भी शामिल है (अनुच्छेद 215 देखें)। उच्च न्यायालय, अभिलेख का एक उच्चतर न्यायालय होने के नाते, अपने समक्ष उठाए जाने पर अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्नों पर विचार करने का हकदार है। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा 1964 के विशेष संदर्भ 1 (1965) में 499 पर 1 एस. सी. आर. 413 में एक निर्देशात्मक मार्ग में, गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने अभिनिर्धारित कियाः

" इसके अलावा, किसी उच्चतर अभिलेख न्यायालय के मामले में, यह न्यायालय को विचार करना है कि क्या कोई मामला उसके अधिकार क्षेत्र में आता है या नहीं। सीमित अधिकारिता वाले न्यायालय के विपरीत, उच्च न्यायालय को अपने लिए अपने अधिकार क्षेत्र के बारे में प्रश्न निर्धारित करने का अधिकार है। हैल्सबरी कहते हैं, "प्रथम दृष्टया", किसी भी मामले को सड़क एजेंसी v के एस. आई. ए. एन. पुनरुत्थान से परे नहीं माना जाता है।

सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उच्च न्यायालय की अधिकारिता जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं दिखाया जाता है, जबकि कुछ भी निम्न न्यायालय की अधिकारिता के भीतर नहीं है जब तक कि यह कार्यवाहियों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया जाता है कि विशेष मामला विशेष न्यायालय के संज्ञान के भीतर है। 9 , पी। 349 ] . ”

10. इसके अलावा, रतिलाल भंजी मिथानी बनाम। सहायक कलेक्टर

दंड प्रक्रिया संहिता, 1898, जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के समतुल्य है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त धारा टी कोई शक्ति प्रदान करती है, लेकिन केवल यह घोषित करती है कि संहिता ई में कुछ भी मौजूदा अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित नहीं करता है।अदालत। इसके बाद अदालत ने कहाः

" लेख का प्रावधान सामग्री नहीं है और इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद यह अधिनियमित करता है कि प्रशासन के संबंध में मौजूदा उच्च न्यायालयों की अधिकारिता और उनके न्यायाधीशों की शक्तियां

न्याय का अधिकार वही होगा जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले था। संविधान ने उच्च न्यायालय को अपनी सभी मौजूदा शक्तियों की पुष्टि की और उन्हें फिर से निहित किया।

अपनी अंतर्निहित शक्तियों और नियम बनाने की अपनी शक्ति सहित अधिकार क्षेत्र। जब संविधान या किसी अधिनियमित कानून ने उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों और क्षेत्राधिकार को अपनाया और पुष्टि की है जो पहले मौजूद था, तो उस शक्ति और क्षेत्राधिकार को कला के अर्थ के भीतर एक अधिनियमित "कानून" की मंजूरी होती है। 21 जैसा कि ए. के. गोपालन के मामले (1950 एस. सी. आर. 88) में बताया गया है। उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ सेक द्वारा संरक्षित हैं। 561 - दंड प्रक्रिया संहिता में से ए इस प्रकार कला के अर्थ के भीतर "कानून" द्वारा निहित है। 21. अंतर्निहित शक्तियों को लागू करने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित की जाती है।

इस तरह के नियम बनाने की शक्ति संविधान द्वारा उच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 372 द्वारा पहले से लागू नियमों को जारी रखा गया था। जमानत को रद्द करने और अपीलार्थी को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करने का उच्च न्यायालय का आदेश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार है और यह नहीं है

कला का उल्लंघन। 21. ”

11. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा स्थापित न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो ऐसे न्यायालय में इसलिए निहित है क्योंकि यह अभिलेख से श्रेष्ठ है, न कि इसलिए कि यह दंड संहिता [2018] 2 एस. सी. आर. द्वारा प्रदत्त है।

प्रक्रिया। यह एक ऐसी शक्ति है जो स्वयं संविधान द्वारा निहित है, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुच्छेद 215 के तहत वनाच्छादित के रूप में। इसके अलावा, चूंकि ऐसे उच्च न्यायालयों के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की शक्ति है, इसलिए नागरिक की स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में न्याय करने की अंतर्निहित शक्ति संविधान के अनुच्छेद 21 में भी दिखाई देगी।

संविधान। यह संवैधानिक स्थिति होने के कारण, यह स्पष्ट है कि धारा 19 (3) (सी) को आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका की रखरखाव पर प्रतिबंध के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। प्रक्रिया, धारा 19 (3) में गैर-अवरोधक खंड केवल दंड प्रक्रिया संहिता पर लागू होता है। सत्य में इस न्यायालय का निर्णय

नारायण शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य, (2001) 8 एस. सी. सी. 607 पैराग्राफ 14 और 15 पर, इसलिए, कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। समान रूप से, उक्त निर्णय के पैराग्राफ 17 में, इस स्पष्टीकरण के बावजूद कि उचित मामलों में कार्यवाही को "अनुकूलित" किया जा सकता है, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मुकदमों पर रोक लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध है और इसलिए, धारा 482, जैसा कि अनुकूलित किया गया है, का उपयोग उपरोक्त उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है।

यह फिर से कानून की स्थिति के विपरीत है जैसा कि यहाँ ऊपर निर्धारित किया गया है। इसलिए इस मामले को खारिज कर दिया गया है।

12. इस समय 3-न्यायाधीशों की पीठ पर विचार करना महत्वपूर्ण है।

मधु लिमये (ऊपर) में निर्णय। इस न्यायालय की एक 3-न्यायाधीश पीठ ने निर्णय दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक धारा 482 याचिका एक आरोप तैयार करने वाले सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बनाए रखने योग्य होगी।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 (2) में निहित निषेध के बावजूद, दंड संहिता की धारा 500 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ। यह दो आधारों पर किया गया था। पहला, कि भले ही धारा 397 (1) धारा 397 (2) में निहित निषेध के कारण रास्ते से बाहर थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उपलब्ध होगी। यह अमर का उल्लेख करने के बाद आयोजित किया गया था

नाथ बनाम। हरियाणा राज्य, (1977) 4 एस. सी. सी. 137, जो 2-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय था, जिसने निर्णय दिया कि अंतर्निहित शक्ति में निहित है - धारा 397 (2) में निहित बाधा को दूर करने के लिए धारा 482 उपलब्ध नहीं होगी। 3-न्यायाधीश ने अमर नाथ (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख किया और कहाः

" 7. इसके बाद बताए गए कारणों से हम सोचते हैं कि बयान प्रस्तावित कानून का बिंदु संख्या 1 काफी सटीक नहीं है और इसकी आवश्यकता है

कुछ मॉडुलन। लेकिन हम इस निर्णय की पुष्टि करने जा रहे हैं

दूसरे बिंदु पर न्यायालय "। ' "

(
पृष्ठ 554 पर)

सड़क एजेंसी का एस. आई. ए. एन. पुनरुत्थान v. सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक महत्वपूर्ण पैराग्राफ में कहा गया हैः

" 10. जैसा कि अमर नाथ मामले में बताया गया है कि एक रखने का उद्देश्य

अपील, जाँच, विचारण या अन्य कार्यवाही में पारित किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की शक्ति पर प्रतिबंध, अंततः मामलों का त्वरित निपटान करना है। अक्सर, कार्यवाहियों के अंतिम निपटान में देरी करने वाले अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का सहारा लिया जाता था। विधायिका ने अपने विवेक में जाँच करने का निर्णय लिया धारा 397 में उप-धारा (2) को लागू करके यह देरी। एक ओर, किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग के लिए उच्च न्यायालय (और सत्र न्यायाधीश के लिए भी) के रास्ते में रोक लगा दी गई है, दूसरी ओर, शक्ति लगभग उन्हीं शर्तों में प्रदान की गई है जो 1898 की संहिता में थी। तथापि, धारा 482 के एक सादे अध्ययन पर, यह कहा जाएगा कि संहिता की कोई भी बात, जिसमें धारा 397 की उप-धारा (2) भी शामिल होगी, "उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी", लेकिन, यदि हम यह कहते हैं कि उक्त प्रतिबंध अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग में बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, तो यह उन पर लगाई गई सीमाओं में से किसी एक को भी निर्धारित नहीं करेगा।

पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग। ऐसी स्थिति में, सामंजस्यपूर्ण तरीका क्या है? हमारी राय में, इस समस्या का एक सुखद समाधान यह कहना होगा कि धारा 397 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई बाधा केवल उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में काम करती है, जिसका अर्थ है कि उच्च न्यायालय को किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं होगी। फिर ऊपर प्रतिपादित अन्य सिद्धांतों में से एक के अनुसार, अंतर्निहित शक्ति लागू होगी, जिसमें पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए संहिता में कोई अन्य प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर, यदि हमला किया गया आदेश विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती चरित्र का है जिसे अभ्यास में ठीक किया जा सकता है 1898 की संहिता के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति, उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करने से इनकार कर देगा। लेकिन इसमें

यदि विवादित आदेश स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति लाता है जो

न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना बिल्कुल आवश्यक है, तो धारा 397 (2) में निहित कुछ भी उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे। उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्ति का बहुत संयम से प्रयोग करना चाहिए। ऐसा एक मामला [2018] 2 एस. सी. आर. होगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की वांछनीयता हो

अवैध रूप से, परेशान करने के लिए या अधिकार क्षेत्र के बिना होने के रूप में। के लिए ले लो

उदाहरण के लिए एक मामला जहां एक अभियोजन शुरू किया जाता है

बिना मंजूरी के भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, फिर

अभियुक्त अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा और बरी होने के बाद भी

उचित मंजूरी के बाद दूसरा परीक्षण प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा आत्मकेंद्रित दोषमुक्ति का सिद्धांत। यहाँ तक कि यह मानते हुए भी कि हम

वर्तमान में यह दर्शाता है कि ऐसा नहीं है, कि ऐसे मामले में एक आदेश न्यायालय द्वारा संज्ञान लेना या प्रक्रियाएँ जारी करना एक मध्यस्थता है।

आदेश, क्या यह कहने का कारण है कि की अंतर्निहित शक्ति अपराधी को रोकने के लिए उच्च न्यायालय का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

अभियुक्त को परेशान करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके कार्यवाही करें अंत तक? जवाब स्पष्ट है कि बार काम नहीं करेगा।

न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए और/या सुरक्षित करने के लिए

न्याय का अंत। पीड़ित द्वारा दायर याचिका का लेबल पार्टी महत्वहीन है। उच्च न्यायालय इस मामले की जांच कर सकता है

अपनी अंतर्निहित शक्तियों के तहत एक उपयुक्त मामला। वर्तमान मामला

निस्संदेह उच्च न्यायालय की शक्ति के प्रयोग के लिए आता है

हालांकि स्वीकार नहीं कर रहा है, कि की पुनरीक्षण शक्ति का आह्वान उच्च न्यायालय अस्वीकार्य है।

( पृष्ठों पर 555-556)

13. दूसरा आधार जिस पर इस मामले का फैसला किया गया था वह था कि

एक आरोप तैयार करने वाला आदेश विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं था ताकि धारा 392 (2) के अवरोधक को आकर्षित किया जा सके, लेकिन एक अंतिम और विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती आदेश के बीच, आदेश का एक "मध्यवर्ती" वर्ग होगा।

अंग्रेजी निर्णयों द्वारा निर्धारित और हमारे न्यायालयों द्वारा अनुसरण किए गए परीक्षण का अनुप्रयोग, अर्थात्, यदि विचाराधीन आदेश को उलट दिया जाता है, तो कार्रवाई जारी रहेगी या समाप्त कर दी जाएगी। इस परीक्षण को लागू करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि आरोप की रचना को अस्वीकार करने वाले आदेश में कार्रवाई जारी नहीं रहेगी और इसे समाप्त कर दिया जाएगा और इस कारण से भी धारा 397 (2) के दायरे में नहीं आएगी।

14. इस फैसले की पुष्टि वी. सी. शुक्ला मामले में 4-न्यायाधीशों की पीठ ने की थी।

वी. सी. बी. आई. (1980) सप के माध्यम से राज्य। एस. सी. सी. 92 पर 128-129 में, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि विशेष न्यायालय अधिनियम, 1979 की धारा 11 के तहत, योजना दंड प्रक्रिया संहिता से अलग है, और "संहिता में कुछ भी होने के बावजूद" शब्दों के साथ खुलने वाली धारा, "मध्यवर्ती" प्रकार का आदेश प्राप्त नहीं करेगा, और सड़क एजेंसी का एशियाई पुनरुत्थान तैयार करने वाला आदेश v.

इसलिए, आरोप विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती प्रकृति का होने के कारण इसके खिलाफ अपील करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। यह अभिनिर्धारित करते समय, इस न्यायालय को यह इंगित करने में पीड़ा हुईः

" अधिनियम की धारा 11 (1) के सही निर्माण पर और

अभिव्यक्ति के प्राकृतिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए

' 'अंतर्वर्ती आदेश', इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश केवल एक था

तथापि खंड, स्थिति यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को स्पष्ट रूप से गैर-अवरोध द्वारा बाहर रखा गया है
खंड और इसलिए एस। 397 ( 2 ) संहिता की सहायता के लिए यह अभिनिर्धारित करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता है कि आक्षेपित आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। मधु लिमये बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के रूप में। महाराष्ट्र राज्य और अमर नाथ और v. हरियाणा राज्य

संहिता के प्रावधानों के संबंध में दिए गए थे,

विशेष रूप से एस। 397 ( 2 ) , वे सही ढंग से तय किए गए थे और करेंगे

एस की व्याख्या के लिए कोई अनुप्रयोग नहीं है। 11 ( 1 ) अधिनियम, जो स्पष्ट रूप से दंड संहिता के प्रावधानों को बाहर करता है

गैर-बाध्यकारी खंड के आधार पर प्रक्रिया "।

पूनम चंद जैन और एक अन्य वी। फजरू, (2004) 13 एस. सी. सी. 269 276-279 पर, इस न्यायालय को यह इंगित करने के लिए दर्द हो रहा था कि वी. सी. शुक्ला (ऊपर) में निर्णय लागू विशेष क़ानून की पृष्ठभूमि में दिया गया था (पैराग्राफ 13 देखें)। 15. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मधु लिमये (ऊपर) मैदान पर बने हुए हैं, जैसा कि वी. सी. शुक्ला (ऊपर) में ही हुआ है। कैसे मधु

लिमये (ऊपर) को इस न्यायालय के बाद के फैसले में समझा गया था कि पक्षकारों के बीच विवाद की अगली हड्डी है।

16. गिरीश कुमार सुनेजा बनाम। सी. बी. आई., (2017) 14 एस. सी. सी. 809, इस न्यायालय की 3 न्यायाधीशों की पीठ को अपने पहले के पैराग्राफ 10 पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया था। कोयला ब्लॉक आवंटन मामलों में 25 अगस्त, 2014 का आदेश पारित किया गया। विभिन्न अदालतों के समक्ष लंबित मामलों को एक विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित करते हुए, इस न्यायालय ने 25 अगस्त, 2014 के अपने पहले के आदेश में कहा थाः

" 10. हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि ठहरने या बाधा के लिए कोई भी प्रार्थना

जाँच/मुक़दमे में प्रगति केवल उससे पहले ही की जा सकती है।

यह न्यायालय और कोई अन्य न्यायालय इस पर विचार नहीं करेगा।

इस न्यायालय के समक्ष इन आधारों पर तर्क दिया गया था कि अनुच्छेद

जीएचटी को याद किया जाना चाहिए। हम आधार (i), (ii) से संबंधित हैं और जो नीचे दिए गए हैंः

" ( i) संविधान की धारा 397 के तहत पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 या Cr.P.C भी।

Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना।

ले जाया गया है; ( (ii) इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश ने अपीलकर्ताओं के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिका दायर करने के अधिकार को छीन लिया है।

संविधान और इस प्रकार न्यायिक समीक्षा, जो इसका एक हिस्सा है

संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन किया गया है जो यहां तक कि

संसद इसका उल्लंघन नहीं कर सकती।

( vii) पी. सी. अधिनियम की धारा 19 (3) (सी) के तहत स्थगन देने में निषेध पूर्ण नहीं है और एक उपयुक्त मामले में, अभियुक्त व्यक्ति के पक्ष में कार्यवाही की जा सकती है।

विशेष रूप से जब न्याय की विफलता हो। कोई भी प्रतिबंधात्मक

पढ़ना उच्च न्यायालय के विवेक पर एक बंधन होगा

जो स्वयं न्याय की विफलता का कारण बन सकता है।

न्यायालय ने अमर नाथ (उपर्युक्त) में निर्णय और फिर दंड प्रक्रिया की धारा 397 (2) को प्रस्तुत करने के लिए उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहा गया हैः

" ( घ) अंतर्वर्ती आदेशों के विरुद्ध पुनरीक्षण की शक्तियों को छीन लिया जा रहा है, क्योंकि यह मुख्य योगदान देने वालों में से एक पाया गया है।

आपराधिक मामलों में देरी या निपटान में कारक;

मधु लिमये (ऊपर) और संक्षिप्त और मध्यवर्ती आदेशों के बीच के अंतर का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 25 और 32 में निम्नानुसार निर्णय दियाः

" 25. इस दृष्टिकोण की पुष्टि मधु लिमये में की गई थी जब

धारा 482 के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को मंजूरी दी गई थी उसकी धारा 397 (2) के संदर्भ में। सिद्धांत इस प्रकार हैं:

" ( 1 ) कि यदि संहिता में शिकायत के निवारण के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान है तो शक्ति का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए

पीड़ित पक्ष; सड़क एजेंसी का एस. आई. ए. एन. पुनरुत्थान v. सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

( 2 ) कि इसका प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा इसके उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए बहुत संयम से किया जाना चाहिए।

न्याय;

( 3 ) कि इसका प्रयोग संहिता के किसी अन्य प्रावधान में निहित कानून के स्पष्ट बार के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए।

इसलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि Cr.P.C की धारा 397 में निषेध इसकी धारा 482 को नियंत्रित करेगा। हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

XXX XXX XXX

29. यह हमें विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन के एक अन्य पहलू की ओर ले जाता है कि जहां तक अपीलार्थियों का संबंध है, तो आई. डी. 1 की धारा 482 के तहत कार्यवाही का मार्ग भी वर्जित है। जैसा कि अमर नाथ में कहा गया है और हम किस निष्कर्ष पर सहमत हैं, यदि Cr.P.C की धारा 397 (2) में निहित निषेध के कारण एक अंतर्वर्ती आदेश पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता है. जिसे Cr.P.C की धारा 482 का सहारा लेकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है।

इस प्रस्ताव पर गंभीर विवाद।

30. फिर धारा 482 सी. आर. पी. सी. की उपयोगिता क्या है? मधु लिमये [मधु] में इस पर विचार और व्याख्या की गई थी।

लिमये वी। महाराष्ट्र राज्य, (1977) 4 एससीसी 551: 1978 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 10] जिसने धारा 397 (2) सी. आर. पी. सी. में निषेध और साथ ही साथ धारा 482 सी. आर. पी. सी. के विस्तृत पाठ पर ध्यान दिया। और सवाल कियाः ऐसी स्थिति में, सामंजस्यपूर्ण तरीका क्या है? इसके बाद इस न्यायालय ने निम्नलिखित तरीके से इस प्रश्न का उत्तर दियाः ( एससीसी पीपी। 555-56 , पैरा 10)

" 10. ..... ऐसी स्थिति में, सामंजस्यपूर्ण तरीका क्या है?

हमारी राय में, इस समस्या का एक सुखद समाधान यह कहना होगा कि धारा 397 की उप-धारा (2) में प्रदान की गई बाधा केवल उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के प्रयोग में काम करती है।

अर्थात् उच्च न्यायालय के पास किसी भी अंतर्वर्ती आदेश के संबंध में पुनरीक्षण की कोई शक्ति नहीं होगी। फिर ऊपर उल्लिखित अन्य सिद्धांतों में से एक के अनुसार, अंतर्निहित शक्ति लागू होगी, जिसमें पीड़ित पक्ष की शिकायत के निवारण के लिए संहिता में कोई अन्य प्रावधान नहीं है। लेकिन फिर, यदि हमला किया गया आदेश विशुद्ध रूप से एक वार्ताकार का है चरित्र जिसे 1898 की संहिता, उच्च न्यायालय [2018] 2 एस. सी. आर. के तहत उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

विवादित आदेश स्पष्ट रूप से एक ऐसी स्थिति लाता है जो एक न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग या सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से

उच्च न्यायालय द्वारा न्याय हस्तक्षेप का अंत बिल्कुल है

आवश्यक है, तो धारा 397 (2) में निहित कुछ भी सीमित नहीं कर सकता है

या उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को प्रभावित करता है। लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होंगे। उच्च न्यायालय ने

अंतर्निहित शक्ति का बहुत संयम से प्रयोग करना चाहिए।

XXX XXX XXX

32. सत्य नारायण शर्मा बनाम। राजस्थान राज्य का यह न्यायालय

पी. सी. अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और अभिनिर्धारित किया कि वहाँ

पी. सी. अधिनियम के तहत मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जाए। यह स्पष्ट किया गया कि

सहारा नहीं लिया जा सकता है, लेकिन भले ही कोई वादी संपर्क करे Cr.P.C की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय और वह याचिका है

मान लीजिए, पी. सी. अधिनियम के तहत मुकदमे पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। द.

वादी अदालत को सुनवाई में तेजी लाने के लिए मना सकता है याचिका दायर की गई, लेकिन केवल इसलिए कि अदालत इस स्थिति में नहीं है कि

जल्दी सुनवाई की अनुमति देना मुकदमे पर रोक लगाने का आधार नहीं होगा

अस्थायी रूप से भी। सम्मान के साथ, हम सहमत नहीं हैं

प्रस्ताव है कि कार्यवाही पर रोक लगाने के उद्देश्यों के लिए

Cr.P.C की धारा 482 को लागू किया जा सकता है। ऊपर हमारी चर्चा

यह बात बहुत स्पष्ट है। "

( पृष्ठों पर 832-834)

इसके बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 38 में कानून को इस प्रकार कहाः

" 38. दंड प्रक्रिया संहिता निस्संदेह एक पूर्ण प्रक्रिया है। कोड अपने आप में। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं,

Cr.P.C की धारा 397 (2) के तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र है।

केवल अंतिम आदेशों और मध्यवर्ती के संबंध में प्रयोग किया जाना

आदेश देते हैं। Cr.P.C की धारा 482 के तहत शक्ति होनी है

केवल प्रभाव देने के लिए अंतर्वर्ती आदेशों के संबंध में प्रयोग किया गया Cr.P.C के तहत पारित एक आदेश या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए

न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी भी न्यायालय की या अन्यथा प्रक्रिया।

दुर्लभतम मामले और अन्यथा नहीं। यदि यह स्थिति है, और हमारा विचार है कि ऐसा है, अनुच्छेद 226 और 227 का सहारा लें।

संविधान की अनुमति शायद केवल सड़क एजेंसी के सबसे अधिक एशियाई पुनरुत्थान में ही होगी।

सी. बी. आई. [आर. एफ. नरीमन, जे.]

असाधारण मामला। की संवैधानिक अधिकारिता का आह्वान करना

उच्च न्यायालय जब Cr.P.C. इसे एक के हित में प्रतिबंधित करता है

अभियुक्त व्यक्ति के लाभ के लिए निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई,

हमें इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि चूंकि लेख

इन प्रावधानों का उन मामलों में सहारा लिया जाना चाहिए जो नहीं हैं दुर्लभतम लेकिन तुच्छ मुद्दों के लिए "।

( पृष्ठों पर 835-836)

17. हमारे अनुसार, पैराग्राफ 25,29 में जो कहा गया है, उसके बावजूद

और 32 ऊपर, निर्णय का अनुपात पैराग्राफ 38 में पाया जाना है, जो मधु लिमये (ऊपर) में पहले जो कहा गया है उसे सही ढंग से निर्धारित करने वाले कानून की व्याख्या है। एक निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, और यदि परस्पर विरोधी भाग हैं, तो उन्हें सामंजस्यपूर्ण रूप से सुलझा लिया जाना चाहिए ताकि एक परिणाम प्राप्त किया जा सके जो उसी पीठ के पहले के निर्णय के अनुरूप होगा। वास्तव में, फैसले के पैराग्राफ 30 में मधु लिमये (ऊपर) के पैराग्राफ 10 का एक हिस्सा दिया गया है, जो दर्शाता है कि अदालत को पूरी तरह से पता था कि मधु लिमये (ऊपर) ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी के बिना अमर नाथ (ऊपर) को मंजूरी नहीं दी थी।

और चेतावनी यह थी कि धारा 397 (2) में कुछ भी उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति के प्रयोग को सीमित या प्रभावित नहीं कर सकता है। इसलिए, हम अनुच्छेद 38 को उक्त निर्णय के सही अनुपात के रूप में न केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 की प्रयोज्यता के संदर्भ में, बल्कि इसे कैसे लागू किया जाना है, इसके संदर्भ में भी पढ़ते हैं।

18. जहाँ तक अनुच्छेद 226 और 227 के तहत याचिकाओं का संबंध है,

वे संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं जैसा कि एल. चंद्र कुमार बनाम में माना गया है। भारत संघ और अन्य, (1997) 3 एस. सी. सी. 261 301 पर। यहाँ फिर से, कर्तार सिंह बनाम में एक संविधान पीठ का निर्णय। पंजाब राज्य, (1994) 3 एस. सी. सी. 569 714 पर, इसे बहुत अच्छी तरह से बताता है जब यह कहता हैः

" हालांकि यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जमानत के लिए आवेदन पर विचार करना।

मामलों से संबंधित किसी भी तरह से संविधान और आदेश पारित करना।

अधिनियम 1987 के तहत, उस शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए,

वह भी केवल दुर्लभ और उपयुक्त मामलों में

परिस्थितियाँ। लेकिन न्यायिक अनुशासन और अदालतों की समिति आवश्यकता है कि उच्च न्यायालयों को प्रयोग करने से बचना चाहिए

ऐसे मामलों में असाधारण अधिकारिता। "1098

कर्तार सिंह (ऊपर) के इस पहलू का अनुसरण गिरीश कुमार सुनेजा (ऊपर) के पैराग्राफ 40 में किया गया है और हम सम्मानपूर्वक उसी से सहमत हैं। उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि पैराग्राफ 33 (ए), (बी) और (डी) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के निष्कर्षों को दरकिनार किया जाना चाहिए।

19. मैं जे. गोयल से सहमत हूँ कि अपीलों का निपटारा किया जाए।

बी.

उसके निर्णय के अनुसार।

दिव्या पांडे